नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 350, नई दिल्ली, बुधवार 18 फरवरी 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

"सफलता का रहस्य बड़ी छलांगों में नहीं, बल्कि रोज़ छोटे-छोटे निरंतर प्रयासों में छिपा होता है।"

03 भगवान शिव ने 'राम - नाम' कण्ठ में क्यों धारण किया है ?
06 कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बहुत खतरा है
08 ओडिशा में रेयर अर्थ रिज़र्व, 3 बीच पर रेयर मिनरल, 10,000 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट का मौका

दिल्ली में तीन-पहिया ई-ऑटो के पंजीकरण पर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की कोई "रोक" नहीं जाने पूरा सच तथ्यों और सबूतों के साथ

लेखकः- संजय कुमार बाठला
परिवहन नीति और सार्वजनिक हित मामलों पर विशेषज्ञ पत्रकार। पिछले एक दशक से सड़क सुरक्षा, स्वच्छ परिवहन और तकनीकी नवाचार से जुड़ी नीतियों पर गहन विश्लेषण और रिपोर्टिंग करते हैं।

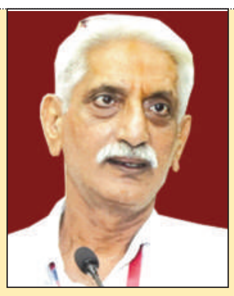

दिल्ली में ई-वाहन (ईवी) और तीन-पहिया ई-ऑटो के पंजीकरण पर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की कोई अलग से सामान्य "रोक" नहीं लगी हुई है, लेकिन 3-सीटर ऑटो (टीएसआर) की कुल संख्या पर जो 1 लाख का कैप है दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार द्वारा नीति - दस्तावेजों में ई-ऑटो पर भी लागू माना है।

ई-वाहन के पंजीकरण पर रोक ? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई आदेश दिए हैं, जैसे पुराने पेट्रोल/डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, 2000cc से ऊपर डीज़ल कारों की रजिस्ट्रेशन पर रोक लेकिन इन आदेशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर कोई अलग से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

हाल के आदेशों में तो केवल सीएनजी/ एलएनजी/ ईवी जैसे कम या शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों को प्रोत्साहित करने की दिशा दिखाई गई है, जैसे 2025 से दिल्ली में आने वाले मालवाहक वाहनों के लिए बीएस VI, सीएनजी/ एलएनजी/ ईवी की अनिवार्यता का उल्लेख है।

1 लाख 3-सीटर ऑटो की सीमा क्या है ? नवंबर 2011 के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में तीन-सीटर ऑटो-रिक्शा (टीएसआर) की संख्या अधिकतम 1,00,000 पर सीमित की थी, जो मूल रूप से पुराने प्रदूषणकारी (दो-स्ट्रोक, पेट्रोल/डीज़ल) वाहनों को हटाकर सीएनजी ऑटो लाने के संदर्भ में किया गया था।

2024 में बाजाज ऑटो की याचिका पर सुनवाई के दौरान भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस 1 लाख की सीमा को हटाने से इंकार कर दिया और कहा कि यह सीमा पर्यावरण और ट्रैफिक जाम दोनों को देखते हुए रखी गई है और किसी वाहन निर्माता को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं हटाई जाएगी।

क्या यह सीमा ई-ऑटो तीन पहिया, तीन सवारी पर भी लागू है ? दिल्ली की 2020 ईवी पॉलिसी के आधिकारिक दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा है कि "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस मामले में आगे के आदेशों तक, ई-ऑटो के लिए 'ओपन परमिट सिस्टम' भी अधिकतम वाहनों की संख्या पर लगाई गई कैप के अधीन रहेगा।" **अर्थात ई-ऑटो को भी उसी कुल सीमा के भीतर गिने जाने के पीछे परिवहन विभाग दिल्ली मुख्य कारक है जो नहीं चाहता था की दिल्ली में ई आटो आकर दिल्ली की जनता को सुरक्षित समयानुसार सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध करवाने में मददगार बने और प्रदूषण में भी कमी आए।**

सुप्रीम कोर्ट में 2021 की सुनवाई में दिल्ली सरकार ने भी दलील दी थी कि 1 लाख की सीमा केवल सीएनजी ऑटो तक सीमित नहीं है; भीड़-भाड़ (कंजेशन) के कारण, ज़ीरो-एमिशन ई-ऑटो भी कुल 1 लाख से ऊपर नहीं जाने चाहिए, और अदालत ने 4,261 ई-ऑटो के परमिट के विज्ञापन को इसी संदर्भ में वैध माना था **अर्थात दिल्ली सरकार भी दिल्ली परिवहन विभाग की ही बोली बोल रही है।**

दिल्ली में किसी भी श्रेणी के सभी ई-वाहनों पर एक सामान्य, व्यापक पंजीकरण-प्रतिबंध सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं लगाया है; बल्कि ईवी को आम तौर पर प्रोत्साहन की श्रेणी में रखा है।

दिल्ली परिवहन विभाग की अपनी इच्छा से बनाई गई नीति के कारण तीन-पहिया, तीन-सवारी ऑटो-रिक्शा के लिए जो 1,00,000 की अधिकतम संख्या (कैप) सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से लागू है, उसे नीति में ई-ऑटो तीन-पहिया, तीन-सवारी पर भी लागू माना गया है; यानी ई-ऑटो अलग से इस कैप से मुक्त नहीं हैं, बल्कि कुल 1 लाख टीएसआर की सीमा के भीतर ही गिने जाते हैं।

आपकी जानकारी हेतु बता दें सीएक्यूएम और उससे पहले ईपीसीए का रुख भी आज के समय में खुले तौर पर यह रहा है कि कैप को हटाने या बदलने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इससे सार्वजनिक परिवहन मज़बूत हो, भीड़ न बढ़े और प्रदूषण घटे, खासकर ई-वाहनों को बढ़ावा देकर।

ईपीसीए/सीएक्यूएम ने क्या सुझाया है ? 2019 में ईपीसीए जिसकी जगह अब सीएक्यूएम ने ले ली है ने भी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देकर कहा था कि ऑटो की संख्या पर लगा कैप हटाने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फर्स्ट-लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता तथा प्रदूषण दोनों कम हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि कैप के कारण परमिट का आर्टिफिशियल कमी बनती है, जिससे ऑटो का वास्तविक लागत 2–2.5 गुना तक बढ़ जाती है और ड्राइवरों पर आर्थिक बोझ पड़ता है, इसलिए नए बएस-VI और साफ़ ईंधन वाले वाहनों के लिए कैप पर पुनर्विचार करने की सिफ़ारिश की गई।

ई-वाहन और ऑटो कैप के संदर्भ में दृष्टिकोण सीएक्यूएम की हाल की सिफ़ारिशों में समग्र नीति यह है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए तेज़ी से ईवी (दो-पहिया, तीन-पहिया, कार, बस, कमर्शियल वाहन) की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए और नीति-निर्माण में ईवी की ओर ट्रांज़िशन को तेज़ किया जाए।

ऑटो-कैप के मुद्दे पर सीएक्यूएम/ईपीसीए की लाइन यह रही है कि अगर पर्याप्त संख्या में ऑटो/ई-ऑटो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मज़बूत करते हैं और इससे निजी कारों की संख्या व ट्रिप कम होते हैं, तो वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर कैप हटाने या बदलने पर विचार किया जा सकता है; यानी सैद्धांतिक रूप से वे कड़े कैप की जगह बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अधिक ईवी-ऑटो के पक्ष में हैं।

कुल मिलाकर, सीएक्यूएम कैप को "स्थायी और अछूता" मानने के बजाय डेटा-आधारित समीक्षा और ईवी-केंद्रित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने की दिशा में झुका हुआ है, पर **दिल्ली परिवहन विभाग अपनी हठ और तानाशाही को बनाए रखने और दिल्ली की सड़को से कम नहीं हो जाए और प्रदूषण में कमी नहीं आ जाए के लिए ई आटो को खुले में लाने में रुकावट बना रहा है।**

संक्षेप में, दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहती है कि पर्यावरण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट – दोनों के हित में या तो कैप को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर हटाया/बदला जाए, और जब तक कैप है, उसके भीतर से ई-ऑटो को सीएनजी ऑटो से अलग प्राथमिकता दी जाए क्योंकि अगर अतिरिक्त ऑटो केवल ई-ऑटो हों तो प्रदूषण में वृद्धि का सवाल नहीं उठता; उल्टा, सार्वजनिक परिवहन मज़बूत होने से निजी डीज़ल/पेट्रोल वाहनों पर निर्भरता घट सकती है।

आरएनआई द्वारा अनुमोदित दो भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र "परिवाहन विशेष" के वार्षिक समारोह की घोषणा

"मार्च अंत या अप्रैल की शुरुआत"

आरएनआई द्वारा अनुमोदित हिंदी भाषा के दैनिक समाचार पत्र "परिवहन विशेष" के तीसरे वार्षिक समारोह और आरएनआई द्वारा अनुमोदित अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचार पत्र "परिवहन विशेष" के पहले समारोह के विषय और थीम निम्नलिखित हैं:

"सड़क सुरक्षा, प्रदूषण, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा"
एवम
"सामाजिक कार्यकर्ताओं और कार्यरत समूहों को पुरस्कार"

ईवी अपनाने से घटेगा प्रदूषण, 2050 तक परिवहन उत्सर्जन में 50 प्रतिशत कटौती संभव: रिपोर्ट

इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) की रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारत अपने EV लक्ष्यों को लागू करता है, तो 2050 तक सड़क परिवहन से कार्बन उत्सर्जन में 50% कमी आ सकती है। यह 2070 के नेट-जीरो लक्ष्य में सहायक होगा और दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारेगा। रिपोर्ट में भारत के 80% घरेलू EV विनिर्माण को भी सकारात्मक बताया गया है, जो आर्थिक अवसर प्रदान करता है।

परिवहन विशेष न्यूज, नई दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर में वर्ष भर प्रदूषण के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (आईसीसीटी) की एक नई वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत अपने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) लक्ष्यों को सही तरीके से लागू करता है तो 2050 तक सड़क परिवहन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में 50 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है। यह कमी भारत के 2070 तक 'नेट-जीरो' (कार्बन उत्सर्जन शून्य करने) के लक्ष्य को पाने में बड़ी भूमिका निभाएगी।

दिल्ली और एनसीआर के लिए इसलिए अहम

दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। आइसीसीटी की "विजन-2050" रिपोर्ट के अनुसार ईवी संक्रमण न केवल देश के लिए बल्कि विशेष रूप से दिल्ली और एनसीआर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता सुधारने का एक बड़ा अवसर है। अध्ययन में कहा गया है कि यदि वर्तमान नीतियों को पूरी ताकत से लागू किया जाए, तो जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीजल) पर निर्भरता कम होगी, जिससे हवा साफ होगी।

80 प्रतिशत ईवी भारत में ही बन रहे

रिपोर्ट में भारत के ईवी बाजार को लेकर सकारात्मक रुझान सामने आए हैं। देश में बिकने वाले लगभग 80 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन भारत में ही निर्मित हो रहे हैं। यह स्थिति भारत को यूरोपीय संघ और जापान जैसे उन्नत बाजारों की श्रेणी में खड़ा करती है। आइसीसीटी इंडिया के प्रबंध निदेशक अमित भट्ट ने कहा, "भारत का ईवी संक्रमण केवल जलवायु अवसर नहीं है, बल्कि एक बड़ा आर्थिक अवसर भी है। 80 प्रतिशत घरेलू विनिर्माण यह दर्शाता है कि हमारे पास स्वच्छ परिवहन भविष्य के लिए मजबूत नींव है।"

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html |
tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार : TRAI मार्च 2026 में MyCall और MySpeed ऐप्स का नया संस्करण लॉन्च कर रहा है। ये उपभोक्ता-उन्मुख ऐप्स अब और अधिक शक्तिशाली और समावेशी बन रहे हैं

पिंकी कुंडू

DND ऐप का अपील फीचर उपयोगकर्ताओं को स्पैम और शिकायत निवारण की कमी के खिलाफ अधिक सशक्त आवाज देगा, जबकि नया MyCall और MySpeed ऐप कॉल क्वालिटी और इंटरनेट स्पीड पर बहुभाषी और अधिक सटीक जानकारी प्रदान करेगा।

ये सभी अपग्रेड उपभोक्ता संरक्षण और दूरसंचार पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

* TRAI के आगामी ऐप सुधार

1. DND (Do Not Disturb) ऐप

- अपील फीचर:
  - उपयोगकर्ता उन शिकायतों को आगे बढ़ा सकेंगे जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा हल नहीं की गईं या संतोषजनक रूप से निपटाई नहीं गईं।
  - इससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी और उपभोक्ताओं को उच्च स्तर पर निवारण पाने का संरचित तरीका मिलेगा।
- बहुभाषी समर्थन:
  - ऐप कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिससे यह अधिक समावेशी और सुलभ बनेगा।
- स्पैम रिपोर्टिंग:
  - स्पैम कॉल और एसएमएस रिपोर्ट करने का प्राथमिक साधन बना रहेगा, अब और मजबूत शिकायत निवारण तंत्र के साथ।

2. MyCall ऐप (नया संस्करण – मार्च 2026)

- उद्देश्य: उपभोक्ताओं को कॉल क्वालिटी को रेट और रिपोर्ट करने की सुविधा सीधे TRAI को देना।
- नए फीचर:
  - शिकायत दर्ज करने के लिए बेहतर इंटरफ़ेस।
  - व्यापक पहुँच के लिए बहुभाषी समर्थन।
  - कॉल क्वालिटी डेटा का विश्लेषण करने के लिए TRAI सिस्टम के साथ बेहतर एकीकरण।
- प्रभाव: TRAI को वास्तविक कॉल क्वालिटी की निगरानी करने और सेवा प्रदाताओं को सुधार की ओर प्रेरित करने में मदद करेगा।

3. MySpeed ऐप (नया संस्करण – मार्च 2026)

- विस्तारित परीक्षण:
  - अब मोबाइल डेटा स्पीड के अलावा 5G, Wi-Fi और वास्तविक नेटवर्क क्वालिटी को भी मापेगा।
- उपयोगकर्ता-अनुकूल डिज़ाइन:
  - स्पीड टेस्ट और रिपोर्टिंग के लिए बेहतर इंटरफ़ेस।
- डेटा उपयोगिता:
  - TRAI को उपभोक्ता अनुभव पर विस्तृत जानकारी देगा, जो ऑपरेटरों के दावों से परे होगी।

* रणनीतिक महत्व

- उपभोक्ता सशक्तिकरण: DND ऐप में अपील फीचर शिकायत निवारण को मजबूत करता है।
- पारदर्शिता: MyCall और MySpeed ऐप TRAI को सेवा गुणवत्ता पर स्वतंत्र, जन-स्रोत डेटा प्रदान करते हैं।
- समावेशिता: बहुभाषी संस्करण पूरे भारत में पहुँच सुनिश्चित करता है।
- नियामक निगरानी: ये उपकरण TRAI की क्षमता को बढ़ाते हैं ताकि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को जवाबदेह ठहराया जा सके।

न्यूरोलॉजिस्ट जिसने साबित किया कि एक शब्द दर्द कम कर सकता है या दर्द पैदा कर सकता है

पिंकी कुंडू

सालों तक, प्लेसिबो इफ़ेक्ट को सिर्फ़ "मरीज़ को धोखा देना" माना जाता था। एक भ्रम, एक साइकोलॉजिकल नौटंकी।

जब तक एक साइंटिस्ट ने इसे शरीर में मापने का फ़ैसला नहीं किया।

उनका नाम फ़ैब्रिज़ियो बेनेडेटी है, जो प्लेसिबो, नोसेबो और दर्द के दुनिया के जाने-माने एक्सपर्ट्स में से एक हैं। उन्होंने जो खोजा वह पारंपरिक दवा के लिए अजीब था: दिमाग़ असली चीज़ें बना सकता है जो दर्द कम करती है या असली चीज़ें जो इसे और खराब करती हैं, मिसाल नहीं - असली केमिस्ट्री।

बेनेडेटी ने दिखाया कि

1. जब कोई इंसान राहत की उम्मीद करता है, तो दिमाग़ एंडोर्फिन, डोपामाइन और दूसरे नैचुरल पेनकिलर रिलीज़ करता है।

2. लेकिन जब कोई इंसान नुकसान की उम्मीद करता है:-

1. दर्द बढ़ जाता है।
2. लक्षण बिगड़ जाते हैं।
3. इलाज नकली होने पर भी साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं।

इसे नोसेबो इफ़ेक्ट कहते हैं। और यहीं से अजीब बात शुरू होती है:

* गलत तरीके से समझाया गया डायग्नोसिस दर्द बढ़ा सकता है
* अलार्म बजाने वाली चेतावनी से लक्षण और बिगड़ सकते हैं
* डर बीमारियों को क्रॉनिक बना सकता है

इसलिए नहीं कि मरीज़ "कल्पना कर रहा है।" बल्कि इसलिए कि नर्वस सिस्टम खतरों पर रिस्पॉन्ड करता है।

बेनेडेटी ने साफ़ - साफ़ कहा: "मरीज़ की उम्मीद बीमारी का रास्ता बदल सकती है।" यह पहले भी देखा जा चुका है:

1. क्रॉनिक दर्द
2. पार्किंसंस बीमारी
3. माइग्रेन
4. एंग्जायटी
5. फंक्शनल डिसऑर्डर

* इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ दिमाग से ठीक हो सकता है।
* इसका मतलब यह नहीं है कि बीमारियाँ असली नहीं हैं।

इसका मतलब है कुछ ऐसा जिसे मानना मुश्किल है: दिमाग सिर्फ़ दर्द महसूस नहीं करता। वह इसे बनाने या कम करने में एक्टिवली हिस्सा लेता है।

इसलिए

* शब्द मायने रखते हैं,
* डायग्नोसिस मायने रखते हैं।
* हम चीज़ों को जिस तरह से समझाते हैं, वह मायने रखता है।

कभी - कभी, बिना एहसास हुए, दवा सिर्फ़ इलाज ही नहीं करती, यह घाव भी करती है।

साइंस जो हमें असहज कर देती है, लेकिन

स्क्रीन टाइमिंग से सिरदर्द और आंखों में दर्द होता है

पिंकी कुंडू

आंखों और सिर में एक साथ दर्द होना 'डिजिटल आई स्ट्रेन' का मुख्य लक्षण है। जब आंखों की मांसपेशियों पर लगातार दबाव पड़ता है, तो इससे सिरदर्द होता है।

इस स्थिति से निपटने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं:

1. तुरंत आराम के उपाय

* अंधेरे में आराम करें: कुछ देर के लिए स्क्रीन पूरी तरह से बंद कर दें और किसी अंधेरे या शांत कमरे में आंखें बंद करके लेट जाएं। तेज रोशनी से सिरदर्द बढ़ सकता है।
* ठंडी/गर्म पट्टी: आंखों और माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां या 'आई मास्क' लगाएं। इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है।
* हाइड्रेशन: कभी-कभी सिरदर्द डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है। खूब पानी पिएं।

2. काम करने की आदतों में बदलाव

* 'एंटी-ग्लेयर' चश्मा: अगर आपके काम में घंटों स्क्रीन पर रहना शामिल है, तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार 'ब्लू कट' या 'एंटी-ग्लेयर' चश्मा इस्तेमाल करें।
* आँखों की एक्सरसाइज़: आँखों की पुतलियों को धीरे-धीरे घुमाने, दिन में दो बार ऊपर-नीचे देखने जैसी एक्सरसाइज़ करें।

3. इन लक्षणों को देखें (कुछ गंभीर कारण हो सकते हैं) अगर आँखों और सिर दोनों में दर्द हो, तो इनमें से कोई एक कारण हो सकता है:

* चश्मे का नंबर: हो सकता है कि आपकी आँखों का नंबर बदल गया हो। ऐसे में आँखों को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और सिर में दर्द होता है।
* माइग्रेन: अगर सिरदर्द एक तरफ है और रोशनी के साथ दर्द होता है, तो यह माइग्रेन हो सकता है।
* साइनस: अगर आपको नाक और माथे के आसपास दबाव महसूस होता है, तो यह दर्द साइनस की वजह से भी हो सकता है।
* आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?
* अगर आपकी नज़र धुंधली हो।
* अगर सिरदर्द तेज़ हो और उल्टी जैसा महसूस हो।
* आराम करने के बाद भी दर्द कम न हो।

आपने पिछली बार अपनी आँखों की जाँच कब करवाई थी? अगर काफी समय हो गया है, तो एक बार अपनी आंखों की जांच करवाना सबसे अच्छा तरीका होगा।

कैंसरकारी रसायन और कृत्रिम रंग: भारत की मिठाइयों में छिपा गंभीर खतरा

भारत में मिठाइयाँ, केक, आइसक्रीम, बिस्कुट और अन्य बेकरी उत्पाद केवल खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, उत्सव और आनंद का प्रतीक हैं। रंग-बिरंगी मिठाइयाँ हमारे त्योहारों की शान होती हैं। किन्तु इसी आकर्षक रंगत के पीछे एक गंभीर और अक्सर अनदेखा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट छिपा हुआ है — कैंसरकारी (Carcinogenic) रसायनों और गैर-अनुमोदित कृत्रिम रंगों का अवैध उपयोग।

खतरनाक रसायन और अवैध रंग: असली दोषी कौन? कुछ असंगठित और लालची निर्माता सस्ते और तेज रंग देने वाले औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) रंगों का उपयोग करते हैं, जो मानव उपभोग के लिए बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं हैं। इनमें प्रमुख हैं:

1. Rhodamine B – कपड़ा उद्योग में प्रयुक्त फ्लोरोसेंट गुलाबी रंग
2. Metanil Yellow
3. Auramine
4. Sudan Dyes (I–IV)
5. Orange II
6. Malachite Green

यह रंग चमकीले लाल, गुलाबी, पीले या हरे रंग देने के लिए लड्डू, बर्फी, गुलाबी रुई की मिठाई (cotton candy), रंगीन आइसक्रीम और बिस्कुटों में मिलाए जाते हैं।

वैज्ञानिक दृष्टि से खतरा अनुसंधानों के अनुसार इनमें से कई रसायन:

1. जीनोटॉक्सिक (DNA को क्षति पहुँचाने वाले)
2. कैंसरकारी
3. यकृत (लिवर) और गुर्दे (किडनी) को नुकसान पहुँचाने वाले
4. तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले
5. कैंसर जोखिम बढ़ाने वाले

अनुमोदित रंग भी सुरक्षित नहीं जब सीमा से अधिक हों FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) ने केवल 8 कृत्रिम रंगों को सीमित मात्रा (अधिकतम 100 ppm) तक अनुमति दी है, जैसे:

1. Tartrazine (Yellow 5)
2. Sunset Yellow FCF
3. Allura Red
4. Ponceau 4R
5. Carmoisine

लेकिन जब इनका प्रयोग निर्धारित सीमा से अधिक किया जाता है, तो यह भी गंभीर दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं:

1. बच्चों में अतिसक्रियता (Hyperactivity)
2. एलर्जी और अस्थमा
3. त्वचा की संवेदनशीलता
4. अंगों की विषाक्तता
5. संभावित कैंसर - उत्तेजक प्रभाव

हाल के परीक्षण और चौंकाने वाले तथ्य (2024–2025)

अक्टूबर 2024 – कर्नाटक जांच कर्नाटक राज्य में 235 केक नमूनों की जांच में 12 नमूनों में अत्यधिक कृत्रिम रंग पाए गए। इनमें लोकप्रिय केक जैसे Red Velvet और Black Forest शामिल थे।

सरकार ने चेतावनी दी कि यह कैंसर सहित मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है।

2024 – गुलाबी रुई की मिठाई पर प्रतिबंध तमिलनाडु सहित कई राज्यों में Rhodamine B पाए जाने के बाद गुलाबी कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगाया गया।

2025 – Auramine पर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई नवंबर–दिसंबर 2025 में FSSAI ने भुने चने और अन्य खाद्य पदार्थों में Auramine के उपयोग पर सख्त कार्रवाई शुरू की। दोषियों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर दंड का प्रावधान है।

नवीनतम नियम और सुधार (2025–2026) FSSAI ने खाद्य योजकों के नियमों में संशोधन किए (कुछ फरवरी 2026 से प्रभावी)।

1. रंगों की सीमा और परीक्षण प्रक्रिया को और कठोर बनाया गया।
2. राज्यों को नियमित सैंपलिंग और निरीक्षण के निर्देश दिए गए।

प्राकृतिक विकल्प: सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक मार्ग सरकार और उद्योग अब प्राकृतिक रंगों को बढ़ावा दे रहे हैं:

1. चुकंदर (Beetroot) से Betalains
2. हल्दी से Curcumin, Annatto
3. पालक/क्लोरोफिल Spirulina

यह ना केवल सुरक्षित हैं बल्कि एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर भी हैं।

समस्या क्यों बनी हुई है? भारत के विशाल असंगठित खाद्य क्षेत्र में:

1. सस्ते उत्पादन की होड़
2. निगरानी की सीमाएँ
3. उपभोक्ता जागरूकता की कमी

इन कारणों से मिलावट जारी रहती है।

उपभोक्ताओं के लिए सावधानियाँ

1. केवल FSSAI लाइसेंस नंबर वाले उत्पाद खरीदें।
2. अत्यधिक चमकीले और अस्वाभाविक रंगों से बचें।
3. लेबल पढ़ें – रंगों के नाम और मात्रा देखें।
4. घर पर बने या विश्वसनीय दुकानों से खरीदें।
5. बच्चों को अत्यधिक रंगीन खाद्य पदार्थों से दूर रखें।

निष्कर्ष त्योहारों की मिठास तब तक सार्थक है जब तक वह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो।

* चमकीले रंगों का आकर्षण क्षणिक है, परंतु स्वास्थ्य हानि दीर्घकालिक और कभी-कभी अपरिवर्तनीय हो सकती है।
* स्वास्थ्य ही वास्तविक संपदा है।

यदि हम प्राकृतिक विकल्प अपनाएँ, जागरूक रहें और जवाब देही की मांग करें, तो भारत की मिठाइयाँ सचमुच सुरक्षित, शुद्ध और आनंददायक बन सकती हैं।

आयुर्वेद हमारे शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का समग्र विज्ञान

पिंकी कुंडू

1. आयुर्वेद प्राचीन एवं गौरवशाली परंपरा,
2. भारतीय ज्ञान – संस्कृति की अमूल्य धरोहर,
3. केवल रोग - निवारण पद्धति नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का समग्र विज्ञान है।

इसी परंपरा में त्रिफला (आंवला, हरड़ और बहेड़ा का समन्वित योग) को अत्यंत पवित्र, प्रभावशाली और दीर्घायु प्रदान करने वाला रसायन माना गया है।

त्रिफला को आयुर्वेद में –

1. सौम्य विरेचक (मृदु शुद्धिकरण करने वाला),
2. पाचनशक्ति-वर्धक,
3. रसायन (पुनर्यौवनदायक),
4. नेत्र - हितकारी, तथा
5. दोष-संतुलनकारी (वात, पित्त, कफ) माना गया है।

किन्तु आधुनिक समय में, इस प्राकृतिक और पवित्र छवि के पीछे एक गंभीर चुनौती उभरकर सामने आई है — भारी धातुओं, विशेषतः सीसा से संदूषण का खतरा।

सीसा : एक मूक एवं घातक विष

सीसा एक अत्यंत विषैला न्यूरोटॉक्सिन है, जिसके लिए कोई सुरक्षित स्तर निर्धारित नहीं है।

शरीर पर इसके प्रभाव:

बच्चों में:

1. मस्तिष्क विकास में बाधा
2. आईक्यू में कमी
3. व्यवहारगत विकार
4. सीखने की क्षमता में ह्रास

वयस्कों में:

1. उच्च रक्तचाप
2. गुर्दा क्षति
3. एनीमिया
4. पेट दर्द एवं थकान
5. स्मृति - भ्रंश एवं तंत्रिका विकार
6. प्रजनन समस्याएँ
7. हृदय - रोग का बढ़ा जोखिम

अत्यधिक स्तर पर:

1. दौरे
2. कोमा
3. एन्सेफैलोपैथी (मस्तिष्क क्षति)
4. मृत्यु तक संभव

विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं सीडीसी के अनुसार, सीसा शरीर में कैल्शियम जैसे खनिजों की नकल करता है, एंजाइमों के कार्य में बाधा डालता है और हड्डियों व ऊतकों में जमा होकर दीर्घकालिक क्षति पहुँचाता है।

आयुर्वेदिक औषधियों में भारी धातुओं का प्रश्न आयुर्वेद की कुछ परंपराओं — विशेषतः रसशास्त्र — में धातुओं को विशेष प्रक्रियाओं से शोधन कर औषधि में प्रयुक्त किया जाता है।

परंतु समस्या दो प्रकार से उत्पन्न होती है:

1. जानबूझकर धातुओं का सम्मिलन (रसायन परंपरा)
2. अनजाने में संदूषण —

* प्रदूषित मिट्टी या जल में उगाई गई औषधीय वनस्पतियाँ
* औद्योगिक क्षेत्रों की निकटता
* अनुचित निर्माण प्रक्रिया
* गुणवत्ता नियंत्रण की कमी
* अप्रमाणित या ऑनलाइन विक्रय

त्रिफला में प्रयुक्त फल भी प्रदूषित पर्यावरण से सीसा अवशोषित कर सकते हैं।

शोध एवं आँकड़े (पूर्व एवं हालिया अध्ययन) 2008 – 2016 के बीच भारत में किए गए कई अध्ययनों में कुछ ब्रांडेड त्रिफला चूर्ण में सीसा की मात्रा 15–16 ppm तक पाई गई, जो निर्धारित मानकों (लगभग 10 ppm या उससे कम) से अधिक थी। हालाँकि सभी उत्पाद असुरक्षित नहीं हैं, परंतु गुणवत्ता में असंगति एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

नवीनतम वैश्विक घटनाक्रम (2025 – 2026) हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेदिक उत्पादों पर निगरानी कड़ी हुई है:

अमेरिका (एफडीए – दिसंबर 2025) कुछ अप्रमाणित आयुर्वेदिक उत्पादों में सीसा और पारा की उच्च मात्रा पाई गई। एफडीए ने चेतावनी जारी की कि कोई भी आयुर्वेदिक उत्पाद एफडीए - स्वीकृत नहीं है। सीसा विषाक्तता के मामले — गुर्दा क्षति, तंत्रिका विकार, पेट दर्द।

न्यूज़ीलैंड (2025 अध्ययन) जाँच किए गए आयुर्वेदिक उत्पादों में से लगभग दो - तिहाई में सीसा पाया गया। 20 से अधिक सीसा विषाक्तता के मामले दर्ज।

ऑस्ट्रेलिया (टीजीए – 2025) आयातित आयुर्वेदिक दवाओं में भारी धातु संदूषण से जुड़ी घटनाएँ। जनवरी 2025 में विक्टोरियन स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष चेतावनी।

जर्मनी एवं अन्य देश कुछ मामलों में

* अत्यधिक उच्च सीसा स्तर (हजारों एमजी/केजी तक)।
* बच्चों में गंभीर विषाक्तता (रक्त में सीसा स्तर >123 यूजी/डीएल)।
* कुछ वयस्कों की मृत्यु के मामले।

भारत (राज्यसभा – दिसंबर 2025) संसद में आयुर्वेदिक, यूनानी एवं हर्बल दवाओं में भारी धातुओं पर प्रश्न, गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ करने की मांग।

क्या सभी त्रिफला असुरक्षित हैं? नहीं, भारत में कई प्रतिष्ठित, अच्छी उत्पादन कार्यप्रणाली - प्रमाणित (अच्छी उत्पादन कार्यप्रणाली) कंपनियाँ:

* कच्चे माल की जाँच करती हैं
* आईएसओ एवं आयुष प्रमाणन रखती हैं
* थर्ड-पार्टी लैब से भारी धातु विश्लेषण करवाती हैं

समस्या मुख्यतः अनियमित, सस्ते, अप्रमाणित, ऑनलाइन या अनधिकृत स्रोतों से खरीदे गए उत्पादों में अधिक पाई जाती है।

उपभोक्ताओं के लिए सावधानियाँ यदि आप त्रिफला या अन्य आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करते हैं:

1. केवल विश्वसनीय एवं प्रमाणित ब्रांड चुनें।
2. पैकेज पर भारी धातु परीक्षण रिपोर्ट या विश्लेषण का प्रमाण पत्र देखें।
3. आयुष लाइसेंस एवं जीएमपी चिह्न की पुष्टि करें।
4. बच्चों, गर्भवती महिलाओं या दीर्घकालिक रोगियों को बिना चिकित्सकीय सलाह सेवन न कराएँ।
5. लक्षण (थकान, पेट दर्द, चिड़चिड़ापन, एनीमिया) होने पर रक्त जाँच करवाएँ।

संतुलित निष्कर्ष आयुर्वेद की परंपरा अमूल्य है — यह हजारों वर्षों की चिकित्सा - प्रज्ञा का सार है। त्रिफला जैसी औषधियाँ यदि शुद्ध और प्रमाणित हों तो अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं।

किन्तु आधुनिक औद्योगिक प्रदूषण और विनिर्माण की अनियमितताओं ने एक नई चुनौती प्रस्तुत की है। अतः— "परंपरा का सम्मान विवेक के साथ, और स्वास्थ्य का संरक्षण सतर्कता के साथ।" आवश्यक है कि:

1. नियामक संस्थाएँ कठोर परीक्षण एवं निगरानी लागू करें।
2. निर्माता पारदर्शिता अपनाएँ।
3. उपभोक्ता जागरूक एवं सावधान रहें।

इस प्रकार हम आयुर्वेद की गौरवशाली धरोहर को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक वैज्ञानिक मानकों के साथ समन्वय स्थापित कर सकते हैं।

भगवान शिव ने 'राम - नाम' कण्ठ में क्यों धारण किया है ?

पिंकी कुंडू

माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं

प्रभु जे मुनि परमारथबादी। कहहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी॥
सेस सारदा बेद पुराना। सकल करहिं रघुपति गुन गाना॥

भावार्थ:- हे प्रभो ! जो परमार्थ तत्व (ब्रह्म) के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचन्द्रजी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं॥

*तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥
रामु सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई॥

भावार्थ:- और हे कामदेव के शत्रु ! आप भी दिन - रात आदरपूर्वक राम - राम जपा करते हैं - ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं ? या अजन्मे, निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं ?

त्रिलोकी में यदि श्रीराम का कोई सबसे बड़ा भक्त या उपासक है तो वे हैं भगवान शिव जो 'राम - नाम' महामन्त्र का निरन्तर जप करते रहते हैं।

भगवान शिव ने 'राम - नाम' कण्ठ में क्यों धारण किया है ? रामायण के सबसे प्राचीन आचार्य भगवान शिव ही हैं। उन्होंने राम-चरित्र का वर्णन सौ करोड़ श्लोकों में किया। शिवजी ने देवता, दैत्य और ऋषि - मुनियों में इन श्लोकों का समान बंटबारा किया तो हर एक के हिस्से में तैंतीस करोड़, तैंतीस लाख, तैंतीस हजार, तीन सौ तैंतीस श्लोक आए। एक श्लोक शेष बचा। देवता, दैत्य और ऋषि — ये तीनों एक श्लोक के लिए लड़ने - झगड़ने लगे। यह श्लोक बत्तीस अक्षर वाले अनुष्टुप छन्द में था। शिवजी ने देवता, दैत्य और ऋषि - मुनियों — प्रत्येक को दस - दस अक्षर दे दिए। तीस अक्षर बंट गए और दो अक्षर शेष रह गए। तब भगवान शिव ने देवता, दैत्य और ऋषियों से कहा — 'मैं ये दो अक्षर मैं किसी को भी नहीं दूंगा। इन्हें मैं अपने कण्ठ में रखूंगा।'

ये दो अक्षर 'रा' और 'म' अर्थात 'राम - नाम' हैं। यह 'राम - नाम' रूपी अमर - मन्त्र शिवजी के कण्ठ और जिह्वा के अग्रभाग में विराजमान है।

भगवान शिव को 'र' और 'म' अक्षर क्यों प्रिय हैं ? ऐसा माना जाता है कि सती के नाम में 'र'कार अथवा 'म'कार नहीं है, इसलिए भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया। जब सती ने पर्वतराज हिमाचल के यहां जन्म लिया, तब उनका नाम 'गिरिजा' (पार्वती) हो गया। इतने पर भी 'शिवजी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं' — ऐसा सोचकर पार्वती जी तपस्या करने लगीं। जब उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए, तब उनका नाम 'अपर्णा' हो गया। 'गिरिजा' और 'अपर्णा' — दोनों नामों में 'र'कार आ गया तो भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी तरह शिवजी ने गंगा को स्वीकार नहीं किया परन्तु जब गंगा का नाम 'भागीरथी' पड़ गया, (इसमें भी 'र'कार है) तब शिवजी ने उनको अपनी जटा में धारण कर लिया। इस प्रकार राम - नाम में विशेष प्रेम के कारण भगवान शिव दिन - रात राम - नाम का जप करते रहते हैं।

तुम्ह पुनि राम राम दिन राती।
सादर जपहु अनंग आराती।। (मानस १।१०८।४)

राम - नाम प्रेमी भगवान शिव को राख (भस्म) और मसान (श्मशान) क्यों प्रिय हैं ? भगवान शिव को राख और मसान इसलिए प्रिय हैं क्योंकि राख में 'रा' और मसान में 'म' अक्षर है जिनको जोड़ देने से 'राम' बन जाता है और भगवान शिव का राम - नाम पर बहुत स्नेह है।

एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को श्मशान ले जा रहे थे और 'राम - नाम सत्य है' ऐसा बोल रहे थे। शिवजी ने राम - नाम सुना तो वे भी उनके साथ चल दिए। जैसे पैसों की बात सुनकर लोभी आदमी उधर खिंच जाता है, ऐसे ही राम - नाम सुनकर भगवान शिव का मन भी उन लोगों की ओर खिंच गया। अब लोगों ने मुर्दे को श्मशान में ले जाकर जला दिया और वहां से लौटने लगे। शिवजी ने विचार किया कि बात क्या है ? अब कोई आदमी राम - नाम ले ही नहीं रहा है। उनके मन में आया कि उस मुर्दे में ही कोई करामात थी, जिसके कारण ये सब लोग राम - नाम ले रहे थे, अतः मुझे उसी के पास जाना चाहिए। शिवजी ने श्मशान में जाकर देखा कि वह मुर्दा तो जलकर राख हो गया है। अतः शिवजी ने उस मुर्दे की राख अपने शरीर में लगा ली और वहीं मसान में रहने लगे।

किसी कवि ने कहा है —
बार - बार करत रकार व मकार ध्वनि,
पूरण है प्यार राम - नाम पे महेश को।।

कण्ठ में 'राम - नाम' की शक्ति से भगवान शिव द्वारा हलाहल का पान !

नाम प्रभाव जान सिव नीको।
कालकूट फलु दीन्ह अमी को।। (राचमा १।१९।८)

जब देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र - मंथन किया गया तो सर्वप्रथम उसमें से हलाहल विष प्रकट हुआ, जिससे सारा संसार जलने लगा। देवता और असुर भी उस कालकूट विष की ज्वाला से दग्ध होने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि 'आप देवाधिदेव और हम सभी के अग्रणी महादेव हैं। इसलिए समुद्र - मंथन से उत्पन्न पहली वस्तु आपकी ही होती है, हम लोग सादर उसे आपको भेंट कर रहे हैं।'

भगवान शिव सोचने लगे — 'यदि सृष्टि में मानव - समुदाय में कहीं भी यह विष रहे तो प्राणी अशान्त होकर जलने लगेगा। इसे सुरक्षित रखने की ऐसी जगह होनी चाहिए कि यह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन, यदि हलाहल विष पेट में चला गया तो मृत्यु निश्चित है और बाहर रह गया तो सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी, इसलिए सबसे सुरक्षित स्थान तो स्वयं मेरा ही कण्ठ प्रदेश है।'

भगवान विष्णु की प्रार्थना पर जब शिवजी उस महाविष का पान करने लगे तो शिवगणों ने हाहाकार करना प्रारम्भ कर दिया। तब भगवान भूत भावन शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा — 'भगवान श्रीराम का नाम सम्पूर्ण मन्त्रों का बीज - मूल है, वह मेरा जीवन है, मेरे सर्वांग में पूर्णतः प्रविष्ट हो चुका है, अतः अब हलाहल विष हो, प्रलय की अग्नि की ज्वाला हो या मृत्यु का मुख ही क्यों न हो, मुझे इनका किंचित भय नहीं है।'

इस प्रकार राम - नाम का आश्रय लेकर महाकाल ने महाविष को अपनी हथेली पर रखकर आचमन कर लिया किन्तु उसे मुंह में लेते ही भगवान शिव को अपने उदर में स्थित चराचर विश्व का ध्यान आया और वे सोचने लगे कि जिस विष की भयंकर ज्वालाओं को देवता लोग भी सहन नहीं कर सके, उसे मेरे उदरस्थ जीव कैसे सहन करेंगे ? यह ध्यान आते ही भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया जिससे उनका कण्ठ नीला हो गया, जो दूषण (दोष) न होकर उनके लिए भूषण हो गया।

कुछ लोगों का कहना है कि भगवान शिव द्वारा हलाहल विष का पान करना पार्वती जी के स्थिर सौभाग्य के कारण हुआ और कुछ अन्य लोगों के अनुसार यह भगवान शिव के कण्ठ में राम - नाम है, उसी के प्रभाव के कारण संभव हुआ था।

भगवान शिव ने देवी पार्वती को 5 ऐसी बातें बताई थीं जो हर मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, जिन्हें जानकर उनका पालन हर किसी को करना ही चाहिए।

पिंकी कुंडू

भगवान शिव ने पार्वती जी को समय - समय पर कई ज्ञान की बातें बताई हैं। जिनमें मनुष्य के सामाजिक जीवन से लेकर पारिवारिक व वैवाहिक जीवन की बातें शामिल हैं।

1. क्या है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप ? देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म और अधर्म मानी जाने वाली बात के बारे में बताया है।

* भगवान शंकर कहते हैं -

।।नास्ति सत्यात्परो नानृतात्पातकं परम्।।

अर्थात - मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या उसका साथ देना। इसलिए हर किसी को अपने मन, अपनी बातें और अपने कामों से हमेशा उन्हीं को शामिल करना चाहिए, जिनमें सच्चाई हो, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। असत्य कहना या किसी भी तरह से झूठ का साथ देना मनुष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है।

2. काम करने के साथ इस एक और बात का रखें ध्यान।

।।आत्मसाक्षी भवेन्नित्यमात्मनुस्तु शुभाशुभे।।

अर्थात - मनुष्य को अपने हर काम का साक्षी यानी गवाह खुद ही बनना चाहिए, चाहे फिर वह अच्छा काम करे या बुरा। उसे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है।

कई लोगों के मन में गलत काम करते समय यही भाव मन में होता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा और इसी वजह से वे बिना किसी भी डर के पाप कर्म करते जाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। मनुष्य अपने सभी कर्मों का साक्षी खुद ही होता है। अगर मनुष्य हमेशा यह एक भाव मन में रखेगा तो वह कोई भी पाप कर्म करने से खुद ही खुद को रोक लेगा।

3. कभी न करें ये तीन काम करने की इच्छा।

।।मनसा कर्मणा वाचा न च काड्क्षेत पातकम्।।

अर्थात - आगे शिव कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को मन, वाणी व कर्मों से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य जैसा काम करता है, उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। यानि मनुष्य को अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं आने देना चाहिए, जो धर्म - ग्रंथों के अनुसार पाप मानी जाए। न अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकालनी चाहिए और न ही ऐसा कोई काम करना चाहिए, जिससे दूसरों को कोई परेशानी या दुख पहुंचे।

पाप कर्म करने से मनुष्य को न सिर्फ जीवित होते हुए इसके परिणाम भोगना पड़ते हैं बल्कि मरने के बाद नरक में भी यातनाएं झेलना पड़ती हैं।

4. सफल होने के लिए ध्यान रखें ये एक बात। संसार में हर मनुष्य को किसी न किसी मनुष्य, वस्तु या परिस्थित से आसक्ति यानि लगाव होता ही है। लगाव और मोह का ऐसा जाल होता है, जिससे छूट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इससे छुटकारा पाए बिना मनुष्य की सफलता मुमकिन नहीं होती, इसलिए भगवान शिव ने इससे बचने का एक उपाय बताया है।

दोषदर्शी भवेत्तत्र यत्र स्नेहः प्रवर्तते।
अनिष्टेनान्वितं पश्चेद् यथा क्षिप्रं विरज्यते।।

अर्थात - भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को जिस भी व्यक्ति या परिस्थिति से लगाव हो रहा हो, जो कि उसकी सफलता में रुकावट बन रही हो, मनुष्य को उसमें दोष ढूंढ़ना शुरू कर देना चाहिए। सोचना चाहिए कि यह कुछ पल का लगाव हमारी सफलता का बाधक बन रहा है। ऐसा करने से धीरे-धीरे मनुष्य लगाव और मोह के जाल से छूट जाएगा और अपने सभी कामों में सफलता पाने लगेगा।

5. यह एक बात समझ लेंगे तो नहीं करना पड़ेगा दुखों का सामना।

नास्ति तृष्णासमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्।
सर्वान्कामान्परित्यज्य ब्रह्मभूयाय कल्पते।।

अर्थात - आगे भगवान शिव मनुष्यों को एक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की तृष्णा यानि इच्छाओं से बड़ा कोई दुःख नहीं होता और इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई सुख नहीं है। मनुष्य का अपने मन पर वश नहीं होता। हर किसी के मन में कई अनावश्यक इच्छाएं होती हैं और यही इच्छाएं मनुष्य के दुःखों का कारण बनती हैं। जरुरी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझे और फिर अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करके शांत मन से जीवन बिताए।

शक्तिशाली शाबर रक्षा मंत्र

पिंकी कुंडू

ॐ नमो आदेश गुरुन को ईश्वर वाचा
अजरी बजरी बाड़ा बज्जरी मैं बज्जरी
बांधा दशौ दुवार छवा और के घालों
तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारे
पहली चौकी गनपति, दूजी चौकी हनुमंत
तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी
देत रक्षाकरन को आवें श्री नरसिंह देव जी
शब्द सांचा पिण्ड काचा, चले मन्त्र ईश्वरो वाचा।

यह एक अत्यंत शक्तिशाली शाबर रक्षा मंत्र है। इस मंत्र में चार देव - तत्व सक्रिय रहते हैं — गणपति, हनुमान, भैरव और नरसिंह। इसीलिए इसे केवल भय नाश का मंत्र नहीं माना गया, बल्कि इसे घर, शरीर, मार्ग और विचार — चारों स्तरों की रक्षा करने वाला कवच कहा गया है। सिद्ध होने के बाद यह साधक के साथ चलता है, इसलिए इसे "चलता हुआ बंधन" भी कहा जाता है।

साधना विधि इस मंत्र की सिद्धि के लिए 21 दिन तक प्रतिदिन 2 या 3 माला का जप करें। पूरे समय पूर्ण ब्रह्मचर्य आवश्यक है। जप प्राण - प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला से ही करें। जप के समय एक दीप अवश्य जलता रहे। दीप में देसी गाय का घी डालें और उसमें थोड़ा सा गुग्गुल व कपूर मिला सकते हैं। जप शांत स्थान पर करें, श्रेष्ठ यह है कि शिव मंदिर में किया जाए।

हवन विधि (बहुत महत्वपूर्ण) साधना पूर्ण होने पर या अमावस्या के दिन हवन करें। हवन सामग्री में देसी गाय का घी, गुग्गुल और कपूर मिलाएँ।

हवन में आहुतियाँ इस क्रम से दें —
* पहली 3 आहुतियाँ
"ॐ श्री गणेशाय नमः" बोलते हुए दें
* दूसरी 3 आहुतियाँ
"ॐ श्री गोरखनाथाय नमः" बोलते हुए दें
* इसके बाद 11 आहुतियाँ
मुख्य शाबर मंत्र बोलते हुए दें

हवन के अंत में एक खड़ा नींबू काटकर हवन कुंड में डाल दें। इससे मंत्र की शक्ति स्थिर होती है और रक्षा कवच पूर्ण रूप से जाग्रत हो जाता है।

सिद्धि के बाद प्रयोग

* जब भी अचानक डर लगे, शत्रुओं के बीच फँस जाएँ, रास्ता बंद दिखे या भारी नकारात्मकता महसूस हो — इस मंत्र को 5 बार पढ़कर अपनी छाती पर फूँक मार लें।
* यात्रा से पहले या सुनसान स्थान पर जाते समय भी 5 बार छाती पर फूँक मारकर निकलें।
* डर की स्थिति में मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों ओर प्रतीकात्मक घेरा बनाकर उसके भीतर बैठ जाएँ।

घर की रक्षा के लिए घर के जितने दरवाज़े हों, उतनी कीलें लें। सभी सदस्यों को बाहर निकालकर, मंत्र जप करते हुए अंदर वाले मुख्य दरवाज़े से कील ठोकना शुरू करें। क्रम से सभी दरवाज़ों पर यह क्रिया करें और पूरे समय मंत्र चलता रहे। इसके बाद हर अमावस्या पर हवन करते रहें।

यदि घर में पहले से प्रेत बाधा या भारी नकारात्मकता हो, तो इस मंत्र की सिद्धि घर पर नहीं, बल्कि शिव मंदिर में ही करें।

यह साधना केवल बाहरी सुरक्षा नहीं देती, बल्कि धीरे-धीरे भय, भ्रम और मानसिक कमजोरी भी समाप्त करती है। साधक अनुभव करता है कि परिस्थितियाँ अपने आप उसके पक्ष में मुड़ने लगती हैं।

स्वधास्तोत्रम्: पितरों को प्रसन्न करने का अद्भुत मंत्र

पिंकी कुंडू

स्त्रोत एवं महत्व यह पावन स्तोत्र ब्रह्मवैवर्त पुराण (प्रकृति खंड) में वर्णित है, जहाँ स्वयं ब्रह्माजी द्वारा इसका उपदेश दिया गया है। ₹स्वधा₹ पितरों को अर्पित की जाने वाली वह दिव्य शक्ति है जो श्राद्ध, तर्पण का सार है।

ब्रह्माजी का उपदेश (स्तोत्र सार)

1. स्वधा उच्चारण का प्रभाव

₹स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नर।
मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत ॥१॥₹

अर्थः केवल ₹स्वधा₹ उच्चारण मात्र से ही मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त करता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है।

2. त्रिवार उच्चारण का फल

₹स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत।
श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च॥२॥₹

अर्थः ₹स्वधा स्वधा स्वधा₹ — तीन बार स्मरण मात्र से श्राद्ध एवं काल तर्पण का संपूर्ण फल प्राप्त होता है।

3. श्राद्धकाल में श्रवण

₹श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः श्रृणोति समाहितः।
लभेच्छ्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः ॥ ॥₹

अर्थः श्राद्ध के समय जो व्यक्ति एकाग्रचित्त से इस स्तोत्र को सुनता है, उसे सौ श्राद्धों का पुण्य प्राप्त होता है — इसमें संशय नहीं।

4. नियमित पाठ से लाभ

₹स्वधास्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः।
प्रियां विनीतां स लभेत्साध्वीं पुत्रं गुणान्वितम्॥४॥₹

अर्थः जो प्रतिदिन तीनों समय (त्रिसन्ध्या) इसका पाठ करता है, उसे आज्ञाकारी पत्नी, साध्वी स्त्री एवं गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है।

स्वधा की महिमा

1. पितरों की प्राणरूपा

₹पितृणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी।
श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा ॥५॥₹

अर्थः हे स्वधा ! तुम पितरों के लिए प्राणस्वरूप हो, ब्राह्मणों के जीवनरूप हो, श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी हो और श्राद्धादि कर्मों को फल प्रदान करने वाली हो।

2. दिव्य आह्वान

₹बहिर्गच्छ मन्मनसः पितृणां तुष्टिहेतवे।
सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहिणां वृद्धिहेतवे ॥६॥₹

अर्थः हे स्वधा ! पितरों की तुष्टि, ब्राह्मणों की प्रसन्नता और गृहस्थों की उन्नति के लिए मेरे मन से बाहर प्रकट हो जाओ।

स्वधा का स्वरूप

1. नित्य एवं गुणमयी

₹नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते।
आविर्भावस्तिरोभावः सृष्टौ च प्रलये तव ॥७॥₹

अर्थः तुम नित्य हो, सदा एकरूप हो, गुणरूप हो। सृष्टि और प्रलय में तुम्हारा ही आविर्भाव और तिरोभाव होता है।

2. वैदिक स्थान

₹ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा।
निरूपिताश्चतुर्वेदे षट् प्रशस्ताश्च कर्मिणाम् ॥८॥₹

अर्थः ॐ, स्वस्ति, नमः, स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा — ये छहों चारों वेदों में वर्णित हैं और कर्म करने वालों के लिए श्रेष्ठ हैं।

3. गोलोक की गोपी

₹पुरासीस्त्वं स्वधागोपी गोलोके राधिकासखी।
धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता ॥९॥₹

अर्थः पूर्व में तुम गोलोक में ₹स्वधा₹ नामक गोपी थीं, राधाजी की सखी थीं। भगवान ने तुम्हें अपने हृदय पर धारण किया, इसीलिए तुम ₹स्वधा₹ कहलाईं।

स्तोत्र का प्रकटन एवं प्रभाव ब्रह्मलोक में प्रकट हुईं स्वधा

₹इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि।
तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूव ह॥१०॥₹

₹तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननाम्।
तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः॥११॥₹

अर्थः ब्रह्माजी के ऐसा कहते ही ब्रह्मलोक में स्वधा प्रकट हो गईं। ब्रह्माजी ने उन्हें पितरों को सौंप दिया। पितर उन्हें प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुए।

अंतिम फलश्रुति

₹स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः श्रृणोति समाहितः।
स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत ॥१२॥₹

अर्थः जो व्यक्ति एकाग्रचित्त से इस पुण्यमय स्वधास्तोत्र को सुनता है, वह सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य तथा वेदपाठ के समान फल प्राप्त करता है।

पाठ विधि एवं उपयोग

1. आदर्श समयः
1. श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष)
2. अमावस्या
3. पितृ तर्पण के समय
4. प्रतिदिन सुबह-शाम

2. विशेष लाभः
* पितृ दोष शांति
* पितरों की तृप्ति एवं आशीर्वाद
* कुल परंपरा की रक्षा
* आयु, आरोग्य एवं समृद्धि
* वंश वृद्धि एवं सुयोग्य संतान

3. सरल मंत्रः
₹स्वधा स्वधा स्वधा₹

केवल तीन बार इसका उच्चारण ही अद्भुत फलदायी है।

समापन

॥ इति श्रीब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे ब्रह्माकृतं स्वधास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

सन्देशः यह स्तोत्र पितरों को प्रसन्न करने की सरलतम एवं शक्तिशाली विधि है। श्राद्धपक्ष में विशेष रूप से इसका पाठ अवश्य करें।

एग्री स्टैक फार्मर आईडी से किसानों को मिलेंगी पारदर्शी व त्वरित सेवाएं : एसडीएम

परिवहन विशेष न्यूज

गांव बिठला में जिला स्तरीय कृषि मेला एवं किसान सम्मेलन का एसडीएम ने किया शुभारंभ –विभिन्न विभागों की स्टॉल के माध्यम से योजनाओं की दी गई जानकारी

झज्जर, 17 फरवरी। साल्हावास ब्लॉक के गांव बिठला में मंगलवार को जिला प्रशासन तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय कृषि मेला एवं किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा पोषक मोटे अनाज जैसे बाजरा, कौडो, ज्वार, रागी, कंगनी व कुट्टु के उत्पादन व उपयोग पर विशेष बल दिया गया।

एसडीएम अंकित कुमार चौकसे ने बतौर मुख्य अतिथि कृषि मेले का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि एसडीएम अंकित चौकसे ने एग्री स्टैक फार्मर आईडी की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भविष्य में कृषि से संबंधित सेवाएं, सामग्री एवं अनुदान राशि

किसान आईडी के माध्यम से ही प्रदान की जाएगी। उन्होंने किसानों से किसी प्रकार के भ्रम में न आने की अपील करते हुए उनकी समस्याओं पर विस्तार से संवाद किया। इससे पहले उप कृषि निदेशक डॉ. जितेन्द्र अहलावत ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। उन्होंने मेले में किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका मौके पर समाधान किया।

इस दौरान कृषि विशेषज्ञ डॉ. भैयाराम ने एग्री स्टैक विषय पर विस्तार से जानकारी दी, जबकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में कृषि विकास अधिकारी डॉ. यगदीप यादव ने किसानों को जागरूक किया। प्राकृतिक खेती के महत्व पर उप मंडल कृषि अधिकारी, डॉ. जगजीत सांगवान ने किसानों को विस्तार से अवगत कराया। सांख्यिकी सहायक सतीश कुमार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। तकनीकी सहायक डा. रोहित वत्स ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा किसानों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं,किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कृषि मेले में गांव बिठला, ढाकला, कुंधरावली तथा आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसानों, महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर रघुबीर सिंह तहसीलदार, राहुल मेहरा, बीडीपीओ सहित अनेक प्रगतिशील किसान उपस्थित थे।

जिले में अब तक कुल 56 हजार 166 किसानों की डिजिटल एग्री स्टैक फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है। ब्लॉकवार प्रगति के अनुसार बादली में छह हजार 448, बहादुरगढ़ में 12 हजार 867, बेरी में नौ हजार 972, झज्जर में 13 हजार 37, मातनहेल में नौ हजार 521 तथा सालावास में चार हजार 321 किसानों की आईडी बनाई जा चुकी हैं।

वार्ड-13 उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची संशोधन के आदेश जारी

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 17 फरवरी। उपायुक्त जगनिवास द्वारा हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 16 फरवरी तथा हरियाणा नगर पालिका चुनाव नियम, 1978 के नियम-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप झज्जर नगर परिषद के वार्ड संख्या-13 के उपचुनाव के लिए मौजूदा फोटो आधारित मतदाता सूचियों के संशोधन/अद्यतन के आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशों के तहत अंकित कुमार चौकसे, एसडीएम झज्जर को संशोधन प्राधिकारी तथा तहसीलदार झज्जर शेखर को सहायक संशोधन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि झज्जर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी तथा संबंधित कर्मचारी संशोधन प्राधिकारी और सहायक संशोधन प्राधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची संशोधन कार्य पारदर्शिता, शुद्धता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए, ताकि उपचुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर हेतु ड्रा 20 फरवरी को : राजीव पाल

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 17 फरवरी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप कृषि निदेशक डॉ. जितेंद्र अहलावत ने बताया कि स्टेट प्लान एसबी-89 स्कीम वर्ष 2025-26 के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने के लिए 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिला झज्जर में इस योजना के अंतर्गत कुल 222 किसानों ने आवेदन किया है, जबकि कृषि निदेशालय द्वारा जिले के लिए 11 ट्रैक्टरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

लाभार्थियों का चयन अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से 20 फरवरी को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में सायं 2:30 बजे किया जाएगा। ड्रा के उपरांत चयनित किसानों की सूची सहायक कृषि अभियंता तथा उप कृषि निदेशक कार्यालय में प्रदर्शित कर दी जाएगी।

सहायक कृषि अभियंता राजीव पाल ने बताया कि चयनित किसानों को अपने आवश्यक दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाने होंगे। दस्तावेजों की जांच उपरांत पात्र किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा। यदि चयनित किसानों में से कोई भी किसान किसी कारणवश अपात्र पाया जाता है तो उसकी जगह प्रतीक्षा सूची से किसान का चयन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि परमिट जारी होने के बाद चयनित किसानों को 8 मार्च 2026 तक ट्रैक्टर की खरीद अनिवार्य रूप से करनी होगी।

एग्री स्टैक फार्मर आईडी व राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों को आपसी समन्वय से पूरा करें अधिकारी : एडीसी

एडीसी जगनिवास ने बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन,कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 17 फरवरी। अतिरिक्त उपायुक्त जगनिवास ने जिला के राजस्व विभाग व कृषि सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए एग्री स्टैक आईडी,पेपरलेस रजिस्ट्री, जमाबंदी, ततीमा कटिंग, भू नक्शा स्टेटस सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी एग्री स्टैक सहित राजस्व सम्बंधित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।

इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वीसी के उपरांत एडीसी जगनिवास ने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों से जुड़े कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं, ताकि आमजन को समय पर सेवाएं मिल सकें।

एडीसी ने कहा कि सभी किसानों की एग्री स्टैक फार्मर आईडी बेहद जरूरी है। इसके लिए कृषि व राजस्व सहित सम्बंधित विभागो के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फॉर्मर आईडी बनवाना जरूरी है।

एडीसी ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और जमाबंदी से संबंधित मामलों में पारदर्शिता व शुद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार की पेंडेंसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

बैठक में सम्बंधित अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस अवसर पर एसडीएम झज्जर अंकित कुमार चौकसे आईएएस, बेरी की एसडीएम रेणुका नांदल, बादली के एसडीएम डॉ. रमन गुप्ता, डीआरओ मनवीर सांगवान, डीडीपीओ निशा तंवर, कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारी डॉ. रोहित वत्स सहित जिला के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

अग्निपथ योजना व रेगुलर एंट्री के तहत ऑनलाइन आवेदन पहली अप्रैल तक

परिवहन विशेष न्यूज

– सेना भर्ती कार्यालय रोहतक के निदेशक ने दी जानकारी

झज्जर, 17 फरवरी। सेना भर्ती कार्यालय, रोहतक द्वारा अग्निपथ योजना तथा रेगुलर एंट्री के तहत भर्ती वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से आरंभ हो चुकी है, जो 01 अप्रैल तक चलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के दौरान आधिकारिक पोर्टल www.joinindianarmy.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं।

सेना भर्ती कार्यालय रोहतक के निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (सीईई) तथा द्वितीय चरण में भर्ती रैली आयोजित होगी। अभ्यर्थियों के लिए वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है तथा 1 अप्रैल के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत जिलों के ऐसे युवा, जिनका जन्म 01 जुलाई 2005 से 01 जुलाई 2009 के बीच हुआ है और जिन्होंने 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है तथा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे भी अन्य पात्रता शर्तें पूरी करने पर आवेदन कर सकते हैं।

अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क व स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन (10वीं पास) तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं पास) के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी अधिकतम दो श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं। रेगुलर एंट्री के तहत सैनिक नर्सिंग सहायक और सिपाही फार्मा पदों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन शुल्क 250 रुपये निर्धारित है, जिसका भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आवेदन करने से पूर्व नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और भर्ती प्रक्रिया को भली-भांति समझ लें। आवेदन करते समय अपना निजी मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सही दर्ज कर सबमिट अवश्य करें, ताकि भविष्य की सूचना समय पर प्राप्त हो सके।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से नाराज है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 आपके लिए एक उचित विकल्प हो सकता है?

नरेश गुणपाल

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत क्या आपको वांछित सूचना नहीं मिल पाई? सूचना आयोग ने भी आपको समुचित राहत नहीं दी, आपकी अपील भी खारिज कर दी गई तो निराश मत होइये, अगली बार आप सूचना मांगने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को नहीं, बल्कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 में यह प्रावधान है कि आप कानूनी फीस देकर किसी भी लोक सेवक से उनके पास उपलब्ध दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि मांग सकते हैं। अगर तय समय पर दस्तावेज की प्रतिलिपि नहीं मिलती है तो सेवा में कमी की शिकायत अपने जिले के उपभोक्ता आयोग को दे सकते हैं, जहां से आप वांछित सूचना के साथ आर्थिक नुकसान के मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं।

प्रत्येक लोक सेवक जिसके पास कोई सार्वजनिक दस्तावेज है, जिसे देखने का किसी व्यक्ति को अधिकार है, मांग करने पर उस व्यक्ति को कानूनी शुल्क के भुगतान पर उसकी एक प्रति देगा, साथ ही उस प्रति के निचले भाग में एक प्रमाण पत्र भी देगा जिसमें यह लिखा होगा कि यह दस्तावेज या उसके किसी भाग की सही प्रति है। यह प्रमाण पत्र दिनांकित होगा और उस अधिकारी द्वारा अपने नाम और पदनाम के साथ हस्ताक्षरित होगा, और जब भी कानून द्वारा उस अधिकारी को मुहर लगाने का अधिकार हो तो उस पर मुहर लगाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाणित प्रतियां प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी।

सत्यापित प्रतिलिपि हेतु कैसे करें आवेदनः-

1. सादे कागज पर सीधे सम्बन्धित लोक सेवक को सम्बोधित करते हुए आवेदन करें और 30 दिन के भीतर सूचना की मांग करें।
2. विषय में लिखेंः- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि के लिये आवेदन।
3. आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये का पोस्टल आर्डर भेजते हुए सत्यापित प्रतिलिपि के लिये फीस का आंशिक भुगतान हेतु पोस्टल चार्ज साथ संलग्न है, यदि अतिरिक्त फीस बनती है तो उसका भी भुगतान किया जाएगा।
4. आवेदन हमेशा डाक या स्पीड पोस्ट से ही भेजें।

सूचना के लिये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ही क्यों?

वैसे तो सूचना मांगने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विशेष कानून है लेकिन इस कानून के तहत आमजन को वांछित सूचना नहीं मिल पाती है, सूचना आयुक्त जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह होते हैं, आमजन को सूचना एवं मुआवजा दिलाने के बजाय आमजन की अपील को ही खारिज कर देते हैं। इसलिये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं उनके रखवाले सूचना आयोग से निराश हैं, ऐसे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ही एकमात्र विकल्प है, जिसके तहत आमजन अपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का समुचित प्रयोग कर सकता है।

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 में इस अधिनियम के तहत जारी आदेश को सिर्फ अपील के रूप में चुनौती दी जा सकती है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 22 में इस अधिनियम को दूसरे अन्य अधिनियम के ऊपर ओवरराईडिंग का अधिकार है, अगर उस अधिनियम का कोई उपबंध इस अधिनियम के उपबंध के विरुद्ध है तो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 23 के तहत किसी भी न्यायालय को हस्तक्षेप करने से मना किया गया है, जिसका आधार बनाकर उपभोक्ता आयोग इस अधिनियम से सम्बन्धित शिकायत को खारिज कर देते हैं कि वो एक न्यायालय है और सुनवाई वर्जित है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में वर्जन का कोई प्रावधान नहीं है।
4. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में शिकायत या अपील सुनने के लिये सूचना आयोग बनाया गया है, जिसका आधार बनाकर उपभोक्ता आयोग इस अधिनियम से सम्बन्धित शिकायत को खारिज कर देते हैं कि उस अधिनियम से सम्बन्धित शिकायत या अपील सुनने के लिये सूचना आयोग बनाया गया है आप वहां जाइये यहां मत आइये, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में शिकायत या अपील सुनने के लिए कोई अधिकारी या कोई आयोग नहीं बना है और एकमात्र उपचार उपभोक्ता आयोग है।

कानूनी पहलू एवं संवैधानिक न्यायालय के आदेशः-

1. ओडिशा राज्य उपभोक्ता आयोग ने चिंतामणि मिश्रा बनाम तहसीलदार खन्दा पाडा के केस का निपटारा करते हुए 19.04.1991 को कहा कि फीस देकर सत्यापित प्रतिलिपि के लिये आवेदन एक सशुल्क सेवा है, और आवेदक एक उपभोक्ता है जो सेवा में कमी की शिकायत उपभोक्ता आयोग में दे सकता है।
2. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली ने पुनरीक्षण याचिका संख्या 2135 ऑफ़ 2000 (प्रभाकर ब्यानकोबा बनाम सिविल कोर्ट अधीक्षक) को निपटाते हुए 08.07.2002 को अपने आदेश के पैरा 11 में कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ पाने के लिये पैसे खर्च करता है तो वह उपभोक्ता अधिनियम 1986 के तहत एक उपभोक्ता है। पैरा 15 पर आयोग ने कहा कि न्यायालय के आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपि को जारी करने की प्रक्रिया कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। पैरा 16 पर आयोग ने कहा कि उपरोक्त बातों से सहमति जताते हुए हम यह मानते हैं कि, फीस देकर सत्यापित प्रतिलिपि मांगने वाला आवेदक एक उपभोक्ता है एवं फीस लेकर सत्यापित प्रतिलिपि मुहैया कराना एक सेवा।
3. माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने क्रिमीनल पिटीशन संख्या 1194 ऑफ़ 2008 एवं 2331 ऑफ़ 2006 (सुहास भांड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) का निपटारा करते हुए 18.08.2009 को अपने आदेश के पैरा 10 में कहा कि कम्पनी के रजिस्ट्रार का कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है एवम वहां के सभी दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज है न्यायालय ने अपने आदेश के पैरा 11 में कहा कि कंपनी रजिस्ट्रार एक सार्वजनिक कार्यालय है और वो अपने कार्यालय के दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत आमजन को देने के लिये बाध्य है।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय ने 13.09.2012 को रिट संख्या 210 ऑफ़ 2012 (नामित शर्मा बनाम भारत संघ) अपने आदेश के पैरा 24 में कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की झलक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा 76 में देखने को मिलती है जिसके तहत लोक सेवक आमजन के द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिये बाध्य है।

शिक्षा विभाग हरियाणा के अधिकारियों द्वारा सरेआम उड़ाई जा रही है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धज्जियां।

नरेश गुणपाल

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अब आम नागरिकों को सूचना नहीं दिला पा रहा है। आए दिन किसी ना किसी विभाग से सूचना नहीं मिलने की शिकायतें आला अफसरों के पास पहुंच रही हैं, लेकिन कार्रवाई तब भी नहीं होती। ज्यादा समय तक विभागों के चक्कर काटने के बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वे शिकायत करें तो किससे?

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई भी आवेदक किसी भी सरकारी कार्य की जानकारी हासिल कर सकता है जिसके तहत उस विभाग के उक्त अधिकारी को अधिनियम के मुताबिक एक माह में उस आवेदक को वह जानकारी देनी होती है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से इस अधिनियम की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक नरेन्द्र रेड्डू द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय गोरछी ब्लॉक हिसार द्वितीय जिला हिसार से आरटीआइ के तहत करीब चार माह पहले कोई जानकारी मांगी गई थी लेकिन वह उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई गई। उनका कहना है कि जिस अधिकारी से कोई भी जानकारी मांगी जाती है उसे अधिनियम के मुताबिक समय पर जानकारी देना उस अधिकारी की ड्यूटी बनती है लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करके अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं।

क्या कहता है कानूनः- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत 30 दिन के अंदर पूर्ण सूचना देने का प्रावधान है। 30 दिन के अंदर सूचना ना मिलने पर अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील देने का प्रावधान है तथा प्रथम अपील का निपटारा 19 (6) के अनुसार 30 दिनों के अंदर होना चाहिए। सूचना नहीं देने पर अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत जुर्माना लगाने का अधिकार राज्य सूचना आयोग के पास है। अधिनियम की धारा 20 (2) के अनुसार सूचना नहीं देने वाले या गलत सूचना देने वाले अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार भी राज्य सूचना आयोग के पास ही है, राज्य सूचना आयोग कार्रवाई न करे तो अधिनियम में आगे कोई प्रावधान नहीं है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा डॉ० संदीप कुमार गुप्ता बनाम राज्य सूचना आयोग और अन्य के मामले में याचिका संख्याः- सीडब्ल्यूपी /36226/2018 निर्णय तिथिः-19.02.2025 को आरटीआई के मामले में दिये गये आदेशानुसार सूचना ईमेल के माध्यम से भी मांगी जा सकती हैं।

माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा आदित्य चौहान व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया और अन्य के मामले में याचिका संख्याः डब्ल्यूपी/8830/2025 निर्णय तिथिः02.07.2025 के मामले में दिये गये आदेशानुसार अब दस्तावेज ईमेल व पेन ड्राइव के साथ भी मिलेंगे।

नरेन्द्र रेड्डू ने 08.10.2025 को निर्धारित फीस जमा करवाकर राजकीय उच्च विद्यालय गोरछी ब्लॉक हिसार द्वितीय जिला हिसार से सूचना मांगी थी। चार माह बीत जाने के बाद भी उन्हें सूचना नहीं मिली है। प्रथम अपील अधिकारी ने भी अब तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की। आवेदक ने पूछा था कि

1. स्कूल के मुखिया का नाम, पद, योग्यता का सम्पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करवाया जावे।
2. स्कूल व विभाग में ज्वाईनिंग की सत्यापित कॉपी उपलब्ध करवाई जावें।
3. स्कूल मुखिया की शैक्षणिक योग्यता तथा सभी योग्यताओं के कुल अंक व प्राप्तांकों के विवरण की सत्यापित कॉपी उपलब्ध करवाई जावें।
4. स्कूल मुखिया का पढ़ाने का विषय तथा स्कूल की समय-सारणी बारे सूचना की सत्यापित कॉपी उपलब्ध करवाई जावें।
5. सत्र 2022-23, 2023-24, 2024-25 से स्कूल में कुल कितने पद स्वीकृत हैं व कार्यरत पदों के अनुसार विवरण की सत्यापित कॉपी उपलब्ध करवाई जावें।
6. स्कूल में कितने पद रिक्त हैं सम्पूर्ण जानकारी की सत्यापित कॉपी उपलब्ध करवाई जावें।
7. सत्र 2022-23, 2023-24, 2024-25 व 2025-26 स्कूल में कुल कितने व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाई जावें।
8. सत्र 2023-24, 2024-25 बारे 2025-26 स्कूल में कुल आमदनी व खर्चा बारे सम्पूर्ण जानकारी की सत्यापित कॉपी उपलब्ध करवाई जावें।
9. सत्र 2023-24, 2024-25 व 2025-26 में स्कूल के बच्चे कहीं भी बाहर गये हैं तो यात्रा विवरण उनके लिए भेजे गये वाहन संख्या व उनको की गई पेमेन्ट के बिल की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करवाई जावें तथा वाहन चालक का नाम, वाहन संख्या व जो राशी वितरित की गई उनके पूरे ब्यौरे की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाई जावें।
10. सत्र 2024-25 व 2025-26 में एस०एम०सी० मीटिंग जो आयोजित की गई उनकी कार्यवाही की प्रति व खर्चे के ब्यौरे सहित बिलों की सत्यापित कॉपी उपलब्ध करवाई जावें।
11. स्कूल मुखिया के पास जो शक्तियाँ शिक्षा विभाग से प्राप्त हैं उसके बारे में विभाग द्वारा जारी शक्तियों के पत्र की सत्यापित कॉपी उपलब्ध करवाई जावें।
12. डेपुटेशन होने वाले कर्मचारी व अधिकारी को रिलीव करने या नां करने सम्बन्धी विभागीय पत्र की सत्यापित कॉपी उपलब्ध करवाई जावें।
13. वर्तमान मुखिया का पिछले पाँच वर्षों में जो भी परीक्षा-परिणाम पढ़ाये गये विषयों का रहा हैं उसकी सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करवाई जावे।
14. यदि स्कूल मुखिया के पास प्रशासनिक शक्ति विभागीय आदेशानुसार है तो उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाई जावें।
15. स्कूल मुखिया मुख्यालय पर रहता / रहती है अथवा नहीं, एच०आर०ए० प्राप्त कर रहा/रही हैं या नहीं तथा एच०आर०ए० रिबेट वर्ष 2024-25 में नियमानुसार ली हैं या नहीं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी की सत्यापित कॉपी उपलब्ध करवाई जावें।
16. स्कूल मुखिया द्वारा इस वर्ष व पिछले वर्ष जो भी जिस प्रकार की लीव प्राप्त की हैं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करवाई जावें।

कायमगंजः दुष्कर्म के आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

परिवहन विशेष न्यूज

कायमगंज/फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत आज कायमगंज के कंपिल थाना क्षेत्र में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पाँच महीने पूर्व एक छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपियों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया।

भारी पुलिस बल के साथ सुबह शुरू हुई कार्रवाई

मंगलवार सुबह तड़के एसडीएम अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम और भारी पुलिस बल मौके पर पहुँचा। प्रशासन ने पहले ही आरोपियों को नोटिस जारी कर मंगलवार तक अवैध कब्जा हटाने का समय दिया था। निर्देशों का पालन न होने पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की।

अवैध दुकानों और जमीनों की हुई पहचान

शमसाबाद के नायब तहसीलदार अनवर हुसैन की देखरेख में लेखपालों की टीम ने उन दुकानों को चिन्हित किया था, जो आरोपी शीबू और सलमान से संबंधित थीं। जांच में पाया गया कि ये दुकानें कोचिंग सेंटर के सामने अतिक्रमण कर बनाई गई थीं। इसके अलावाः

आरोपी अनसः इसके गांव निजामुद्दीनपुर में 'नवीन परती' भूमि (गाटा संख्या 336) पर भी अवैध कब्जा पाया गया, जिसे मुक्त कराया गया।

शकील मार्केट का सीमांकन और विवाद

कार्रवाई के दौरान टीम ने शकील मार्केट का भी सीमांकन किया। राजस्व विभाग का दावा है कि इस मार्केट का कुछ हिस्सा कब्रिस्तान की जमीन पर बना है।

दूसरी ओर, मार्केट के मालिक शकील ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना हैः

"यह निर्माण नगर पंचायत के स्वीकृत नक्शे के अनुसार है और मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय (High Court) में विचाराधीन है। मेरा इस मुख्य आपराधिक प्रकरण के आरोपियों से कोई लेना-देना नहीं है।"

प्रशासन का कड़ा रुख

प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर उन मामलों में जहाँ आरोपी गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं। इस कार्रवाई से इलाके के अन्य अतिक्रमणकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है।

आस्था की आड़ में जमीन खेल? अयोध्या में 90 वर्षीय महात्मा ने लगाए गंभीर आरोप

परिवहन विशेष न्यूज

* राम नाम की लूट है' क्या रामनगरी में बढ़ रही है भूमाफियाओं की हिम्मत?
* मामले पर तहरीर देने के बावजूद नहीं दर्ज हुआ मुकदमा?

अयोध्या। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट" यह चौपाई इन दिनों रामनगरी अयोध्या की जमीनी हकीकत पर सटीक बैठती नजर आ रही है। श्रीराम मंदिर निर्माण के बाद जहां श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ी है, वहीं जमीनों की कीमतों में उछाल के बीच भूमाफियाओं की सक्रियता भी चर्चा में है ताजा मामला कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के स्फटिक शिला के पीछे स्थित सरयू नगर कॉलोनी का है जहां 90 वर्षीय महात्मा राम रतन दास को कुछ लोगों द्वारा परेशान करने और मंदिर परिसर पर कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाया गया है महात्मा के उत्तराधिकारी? दामोदर दास ने मीडिया को बताया कि सुरेश यादव व रामेश्वर सहित कुछ लोग बीते दिन मंदिर परिसर में जबरन घुस आए उस समय वह स्वयं मौके पर मौजूद नहीं थे। आरोप है कि मंदिर में मौजूद बच्चों को बाहर धकेला गया और 90 वर्षीय महात्मा को भी जबरन बाहर निकालने का प्रयास किया गया सूचना पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपित मौके से फरार हो गए। महात्मा राम रतन दास का आरोप है कि यह पूरी घटना पूर्व नियोजित थी और उनकी हत्या की साजिश के तहत मंदिर में प्रवेश किया गया।? पीड़ित पक्ष का दावा है कि घटना का पूरा घटनाक्रम मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड है। इसके बावजूद आवेदन देने के बाद भी मुकदमा दर्ज न होने की बात कही जा रही है महात्मा व उनके उत्तराधिकारी ने शासन-प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

रामनगरी में आस्था के केंद्रों की सुरक्षा और वृद्ध संतों की गरिमा को लेकर उठे इस सवाल पर अब निगाहें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। और अयोध्या में भूमाफियाओं के खिलाफ अब क्या कार्रवाई होती है.

सत्यम मिश्रा
सोशल मीडिया विशेषज्ञ
उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड

राकेश चौधरी वाल्मीकि दूरभाष संचार सलाहकार समिति के सदस्य नॉमिनेट

भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता को मिला महत्वपूर्ण दायित्व, क्षेत्र में हर्ष की लहर

आगरा, संजय सिंह। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है कि भाजपा के 35 वर्षों से सक्रिय वरिष्ठ कार्यकर्ता राकेश चौधरी वाल्मीकि को "दूरभाष संचार सलाहकार समिति" का सदस्य नामित किया गया है। यह नियुक्ति फतेहपुर सीकरी लोकसभा के माननीय सांसद राजकुमार चाहर की संस्तुति पर की गई है।

राकेश चौधरी वाल्मीकि संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। पार्टी एवं समाज के प्रति उनकी निष्ठा, सेवा भाव और संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। उनके नामांकन से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है।

इस अवसर पर राजकुमार त्रिवेदी (प्रदेश अध्यक्ष, विश्व हिन्दू राष्ट्र परिषद) ने राकेश चौधरी वाल्मीकि को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति से संगठन को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि राकेश चौधरी अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। राकेश चौधरी वाल्मीकि की नियुक्ति उनके वर्षों के समर्पण और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता का सम्मान है। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने भी इस नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे संगठन के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया है। स्थानीय स्तर पर माना जा रहा है कि उनके अनुभव और सक्रियता से दूरभाष संचार से जुड़े मुद्दों के समाधान में सकारात्मक पहल होगी।

बीपीएड को प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य करने की मांग, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

परिवहन विशेष न्यूज

कौशाम्बी। विश्व हिन्दू महासंघ के जिला मंत्री प्रद्युम्न पाण्डेय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र देकर बी.पी.एड (बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन) पाठ्यक्रम को बेसिक/प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल करने की मांग रखी गई, दिए गए पत्र में कहा गया है कि वर्तमान समय में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। कई प्राथमिक विद्यालयों में योग्य शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की कमी है, जिससे बच्चों को खेल एवं स्वास्थ्य संबंधी समुचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। पत्र में उल्लेख किया गया कि बी.पी.एड एक व्यापक और वैज्ञानिक पाठ्यक्रम है, जो विद्यार्थियों को खेल विज्ञान, कोचिंग, शारीरिक क्रियाओं की यांत्रिकी (बायोमैकेनिक्स) तथा स्वास्थ्य शिक्षा में प्रशिक्षित करता है। यदि प्राथमिक स्तर पर बी.पी.एड योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, तो बच्चों को बचपन से ही सही शारीरिक मार्गदर्शन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता मिलेगी।

ज्ञापन में दो प्रमुख मांगें रखी गई हैं-पहली, बेसिक/प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाए; और दूसरी, इस स्तर पर बी.पी.एड योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाए। प्रद्युम्न पाण्डेय ने कहा कि यह कदम नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप होगा तथा बच्चों के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके पहले भी इनके द्वारा लगातार समाज को जागरूक किया जाता रहा है

मदन कुमार केशरवानी

नागरिक परिक्रमा : (संजय पराते की राजनैतिक टिप्पणियां)

1. योजनाएं आदिवासियों के नाम पर और कल्याण कॉरपोरेटों का!

यह सरकार आदिवासी हितों की लंबी चौड़ी बातें करती हैं, लेकिन विकास के जिस रास्ते पर वह चल रही है, वह मात्र कॉरपोरेटों के विकास का ही रास्ता है। संसद में पेश बजट के छिलके जैसे-जैसे उतर रहे हैं, वैसे-वैसे इस सरकार का आदिवासी विरोधी चेहरा साफ नजर आता है।

योजना आयोग ने सरकार को बजट में कुल खर्च का 8.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों पर खर्च करने का निर्देश दिया है, जो आबादी में उनके हिस्से के बराबर है। मोदी सरकार बजट पेपर्स के हिस्से के तौर पर "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आबंटन" नाम से एक अलग स्टेटमेंट नंबर 10ब प्रकाशित करती है, जिसमें हर मंत्रालय से आदिवासी जनजातियों के लिए अपने आबंटन की एक राशि खर्च करने की उम्मीद की जाती है। 2025-2026 आबंटित की गई राशि कुल बजट का सिर्फ 2.58 प्रतिशत थी। लेकिन यह भी खर्च नहीं हुआ। कुल आबंटन 1.3 लाख करोड़ रखा गया था, लेकिन इसमें से 7000 करोड़ से ज़्यादा खर्च नहीं हुए।

लेकिन स्टेटमेंट नंबर 10ब में दिखाए गए तथाकथित खर्च का भी असल में आदिवासी कल्याण से कोई लेना-देना नहीं है। उदाहरण के लिए, आईआईटी में अनुसूचित जनजातियों के लिए 700 करोड़ रूपयों से ज़्यादा खर्च होना बताया गया हैं। लेकिन, आरटीआई के जवाबों से पता चलता है कि कई आईआईटी में अनुसूचित जनजाति के सिर्फ़ 2 प्रतिशत छात्र ही पढ़ रहे थे, जो उनके लिए निर्धारित 7.5 प्रतिशत के आरक्षण से बहुत कम है, और कई विभागों में तो अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या शून्य थी। तो ऐसे आईआईटी पर खर्च किए गए 700 करोड़ को अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए खर्च के तौर पर कैसे बताया जा सकता है? एक और धोखा यह है कि "सेमी-कंडक्टर इकाईयां" बनाने में 561 करोड़ रुपये अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण के तौर पर डाले गए हैं। इनमें से ज़्यादातर इकाईयां निजी क्षेत्र में हैं। वैसे भी इसका अनुसूचित जनजाति के कल्याण से क्या लेना-देना है? ऐसे कई उदाहरण हैं।

प्रधानमंत्री ने झारखंड विधान सभा चुनाव से पहले, खास तौर पर कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) के लिए बनाए गए एक नए कार्यक्रम, जनमन योजना की घोषणा की थी। यह लगभग नौ मंत्रालयों का एक कन्वर्जेंस कार्यक्रम था। स्टेटमेंट 10बब के अनुसार, 2025-2026 में इस योजना के तहत सभी मंत्रालयों पर 6351.99 करोड़ रूपये खर्च किए जाने थे। लेकिन सिर्फ 3997 करोड़ रूपये ही खर्च हुए। इस वर्ष 2026-2027 के लिए आबंटित की गई रकम इससे भी कम है। साफ है कि पीवीटीजी की भलाई प्राथमिकता में नहीं है। इसी प्रकार, एक और फ्लैगशिप योजना का नाम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है। इसमें 17 मंत्रालयों को शामिल किया जाना था। इस योजना के तहत भी, 2025-26 में दिए गए 6105 करोड़ रूपये में से असल में सिर्फ़ 2186 करोड़ रूपये ही खर्च हुए।

एकलव्य स्कूलों का भी हाल देखिए। दो साल पहले वित्त मंत्री का भाषण मोदी सरकार के अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बेहतरीन स्कूल देने के वादे की तारीफ़ से भरा था। लेकिन हुआ क्या? पिछले साल 7088.60 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे, लेकिन इस साल के बजट के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ़ 4900 करोड़ रूपये ही खर्च किए गए। यह बहुत बुरी हालत है। ऐसे 728 स्कूलों के लक्ष्य में से 245 अभी तक नहीं बने हैं। लगभग 476 स्कूल, जो चालू बताए जा रहे हैं, उनमें से कई में ज़रूरी शिक्षक नहीं हैं। और फिर भी, जो पैसा दिया गया था, वह खर्च नहीं हुआ। आदिवासी इलाकों के स्कूलों के लिए कोई अलग से फंडिंग नहीं है। इनमें से बहुत सारे स्कूल "विलय" के नाम पर बंद कर दिए गए हैं। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए मिलने वाली राशि का एक तिहाई रकम भी खर्च नहीं हुआ है।

सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आदिवासी मामलों का मंत्रालय, जो आदिवासी कल्याण के लिए नोडल एजेंसी है, का भी आदिवासी कल्याण के लिए खर्च न करने का रिकॉर्ड सबसे खराब है। याद कीजिए कि पिछले साल कैसे सरकार ने डींगें हांकी थीं कि उसने अनुसूचित जनजातियों के लिए रकम में भारी बढ़ोतरी की है। लेकिन अब यह साफ़ है कि आबंटित 14861.96 करोड़ रुपये में से असल में सिर्फ़ 10745.16 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। दूसरे शब्दों में, इस मंत्रालय ने 4116.80 करोड़ रूपये या आबंटित राशि का लगभग 35 प्रतिशत खर्च नहीं किया। यह आदिवासी हितों के साथ बहुत बड़ा धोखा है।

असल में, इस बात का कोई सही ऑडिट नहीं होता कि मंत्रालय उनको आबंटित सारा पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? यह ऐसे समय में हो रहा है, जब लाखों आदिवासी तथाकथित विकास परियोजनाओं जैसे खनन, निजी क्षेत्र की बिजली और सिंचाई परियोजनाओं आदि की वजह से बेघर हो रहे हैं। सरकार ने अपनी निजीकरण की नीतियों के चलते सार्वजनिक संपत्ति को कॉर्पोरेटों को सौंपकर विनिवेश से करीब 90,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसका आदिवासियों के जल, ज़मीन और जंगल के अधिकारों पर सीधे-सीधे नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार, इस बजट में लोगों से सीधे जुड़े सबसे ज़रूरी मुद्दों, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, श्रम, महिला और बाल कल्याण पर मोदी सरकार ने अपने खर्च में 1.20 लाख करोड़ रुपये की भारी कटौती की है, जो पहले कभी नहीं हुई थी। इसका ग्रामीण जन जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सामाजिक संकेतकों में आदिवासियों और दूसरे तबकों के बीच ज्यादा अंतर के कारण ज्यादातर आदिवासी ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। मनरेगा को खत्म किए जाने का सबसे ज्यादा प्रभाव भी इसी तबके पर पड़ेगा, क्योंकि अपनी आबादी से दुगुने से भी ज्यादा और कुल मनरेगा मजदूरों का लगभग 20 प्रतिशत रोजगार की गारंटी देने वाली इसी योजना में काम करता था। राम के नाम पर अब यह गारंटी भी उनसे छीन ली गई है।

****

2. देश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने 1 फरवरी, 2026 को चंडीगढ़ से एक रिपोर्ट छापी, जिसमें फरीदाबाद के एक मज़दूर की दुर्दशा पर ध्यान दिलाया गया था, जिसे अपनी मृत पत्नी का शव एक सब्जी की गाड़ी पर घर ले जाना पड़ा, क्योंकि परिवार का सारा पैसा इलाज पर खर्च हो गया था और वे निजी एम्बुलेंस का खर्च नहीं उठा सकते थे। उसी अखबार में तीन दिन बाद एक और खबर छपी कि नोएडा में एक परिवार ने दावा किया कि उन्हें अपने 24 साल के मृत व्यक्ति के लिए कफ़न और मदद देने से मना कर दिया गया, जब तक कि वे पोस्टमार्टम केंद्र में 3,000 रुपये अतिरिक्त नहीं पटाते। कुछ दिन पहले, दिल्ली के बीएलके मैक्स अस्पताल पर आरोप लगा कि उसने एक मृत मरीज़ का शव तब तक नहीं छोड़ा, जब तक कि 1 लाख रुपये अतिरिक्त नहीं दिए गए, जबकि पहले की अदायगी की जा चुकी थी। ये उन परेशान करने वाली कई कहानियों में से सिर्फ़ तीन हैं, जो मीडिया में नियमित रूप से रिपोर्ट की जाती हैं। अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह स्थिति है, तो देश के ज़्यादातर दूसरे हिस्सों में आम लोगों के स्वास्थ्य की हालत के बारे में सोचना भी डरावना लगता है। बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं की कहानियां तो राजधानी दिल्ली के मामलों को पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन ये कहानियां कभी राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां नहीं बनतीं।

ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ दिखाती हैं कि दशकों के नवउदारवादी सुधारों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में गिरावट के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना के कमजोर होने और निजी प्रदाताओं पर बढ़ती निर्भरता की वजह से आबादी का एक बड़ा हिस्सा कैसे वंचित और परेशान है। सरकार अपनी जीडीपी का सिर्फ़ 1.5 प्रतिशत ही सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च करती है, जिसकी वजह से लाखों लोग अपनी जेब से खर्च करने पर मजबूर हैं। दरअसल, सार्वजनिक स्वास्थ्य का धीरे-धीरे लाभ से संचालित माल के रूप में रूपांतरण हो रहा है। इसके कारण हर साल 5.5 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की दलदल में धकेले जा रहे हैं। इसके साथ ही, पारंपरिक दवा के नाम पर अवैज्ञानिक तरीकों और उपचार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

पिछले एक दशक से मोदी सरकार जिन नवउदारवादी नीतियों को लागू कर रही है, उस ने स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सार्वभौमिकता, समानता और पहुंच के सिद्धांतों को कमज़ोर किया है, जबकि कॉर्पोरेट अस्पतालों की श्रृंखला, बीमा-आधारित मॉडल और निजी निवेश हिस्सेदारी के एकीकरण को तेज़ किया है। इसका नतीजा है कि अब स्वास्थ्य देखभाल की लगभग 80 प्रतिशत सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा दी जाती हैं, जिसके पास 60 प्रतिशत से ज़्यादा हॉस्पिटल और बिस्तर हैं। पिछले एक दशक में, निजी स्वास्थ्य देखभाल का क्षेत्र 25 प्रतिशत से ज़्यादा की सालाना दर से बढ़ा है, जिससे दो स्तरीय व्यवस्था मज़बूत हुई है, जिसमें अमीर लोगों को आधुनिक चिकित्सा देखभाल मिलती है, जबकि ज़्यादातर लोगों को वंचना तथा अपर्याप्त और अवहनीय सेवाओं का सामना करना पड़ता है। घर-परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च का लगभग 70 प्रतिशत खर्च दवाओं पर होता है और आम जनता की कम आय और गिरती क्रयशक्ति के कारण जीवन रक्षक दवाओं तक उसकी पहुंच लगातार मुश्किल होती जा रही है।

एक और बड़ी चिंता की बात है कि आयुष्मान भारत जैसी केंद्र द्वारा लागू की गई योजनाएं राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करती हैं और अलग-अलग स्थानीय स्वास्थ्य ज़रूरतों का ध्यान रखने में नाकाम रहती हैं। केंद्र सरकार का यह रुख केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के प्रयासों को कमजोर करता है, जहाँ लगातार बढ़ते सार्वजनिक निवेश से बेहतर स्वास्थ्य नतीजे मिले हैं।

यह भी ध्यान देने की बात है कि स्वास्थ्य के नतीजे पोषण, रोज़गार, आवास, साफ़-सफ़ाई, पर्यावरण और भेदभाव से आज़ादी जैसे बड़े सामाजिक कारकों से अलग नहीं किए जा सकते। देश के विभिन्न हिस्सों और तबकों में भारी आर्थिक असमानता का सबसे ज्यादा स्वास्थ्यगत प्रभाव सामाजिक रूप से पिछड़े तबकों विशेषकर आदिवासियों और दलितों पर पड़ता है।

इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए नीतियों में बदलाव की जरूरत है, जिसके तहत स्वास्थ्य देखभाल को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने और जीडीपी का कम से कम 5 प्रतिशत सार्वजनिक खर्च करने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए और सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित और सार्वजनिक रूप से चलाई जाने वाली स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, सार्वजनिक क्षेत्र में दवाओं के उत्पादन को फिर से शुरू करना, निजी अस्पतालों को विनियमित करना और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की आड़ में किए जा रहे निजीकरण को खत्म करना, सस्ती दवाएं सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा और पोषण को मजबूत करना जरूरी है।

स्वास्थ्य को हमारी राजनीति का एक बड़ा और प्रमुख मुद्दा बनाया जाना चाहिए, ताकि एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और जनोन्मुख सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को हासिल किया जा सके।

(टिप्पणीकार अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बहुत खतरा है

● विजय गर्ग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य उन कंप्यूटर प्रणालियों से है जिन्हें ऐसे कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनमें सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे कि सीखना, तर्क करना, निर्णय लेना और भाषा समझने की क्षमता।

संपादकीय
चिंतन-मनन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) दुनिया को अभूतपूर्व गति से बदल रही है। वॉयस असिस्टेंट और सिफारिश प्रणालियों से लेकर चिकित्सा निदान और स्व-ड्राइविंग प्रौद्योगिकियों तक, एआई हमारे जीवन और कार्य के तरीके को नया रूप दे रहा है। फिर भी इसके उल्लेखनीय लाभों के साथ-साथ एक बढ़ती हुई चिंता भी हैः एआई से नौकरियों, गोपनीयता, सुरक्षा और यहां तक कि मानव स्वायत्तता को संभावित खतरा हो सकता है। जैसे-जैसे समाज बुद्धिमान मशीनों को अपनाता है, इन जोखिमों को समझना और उनका समाधान करना आवश्यक हो जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समझना

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य उन कंप्यूटर प्रणालियों से है जिन्हें ऐसे कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनमें सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे कि सीखना, तर्क करना, निर्णय लेना और भाषा समझने की क्षमता। आधुनिक एआई प्रणालियां, जिनमें ओपनएआईटुक्स चैटजीपीटी और गूगलटुक्स जेमिनी जैसे उपकरण शामिल हैं, यह दर्शाती हैं कि कितनी तेजी से मशीनें ऐसी क्षमताएं प्राप्त कर रही हैं जिन्हें कभी अद्वितीय मानव माना जाता था।

नौकरी विस्थापन और आर्थिक असमानता

एआई के सबसे व्यापक रूप से चर्चा किए जाने वाले खतरों में से एक है नौकरी विस्थापन। विनिर्माण, ग्राहक सेवा, परिवहन और यहां तक कि सफेदपोश व्यवसायों में भी स्वचालन बार-बार होने वाले कार्यों का स्थान ले रहा है।

संभावित प्रभावों में शामिल हैं:

कम कुशल और नियमित नौकरियों की मांग में कमी

मध्यम आय वाले व्यवसायों पर दबाव

उच्च तकनीक वाले और कम कुशल श्रमिकों के बीच बढ़ती खाई

हालांकि एआई नई भूमिकाएं भी पैदा करता है, लेकिन यह परिवर्तन विघटनकारी हो सकता है, विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए जिनके पास पुनः कौशल प्राप्त करने के अवसर नहीं हैं।

गोपनीयता और निगरानी संबंधी चिंताएं

एआई-संचालित चेहरे की पहचान, डेटा ट्रैकिंग और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण ने गोपनीयता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। सरकारें और निगम भारी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, कभी-कभी स्पष्ट सहमति के बिना भी।

जोखिमों में शामिल हैंः

बड़े पैमाने पर निगरानी

डेटा का दुरुपयोग और प्रोफाइलिंग

व्यक्तिगत गोपनीयता का नुकसान

मजबूत डेटा संरक्षण कानूनों के बिना, व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण खो सकते हैं।

पूर्वाग्रह और एल्गोरिथमिक भेदभाव

एआई प्रणालियां डेटा से सीखती हैं। यदि प्रशिक्षण डेटा में पूर्वाग्रह है, तो प्रणाली भेदभाव की नकल कर सकती है या उसे बढ़ा सकती है।

उदाहरणों में शामिल हैंः

पक्षपातपूर्ण नियुक्ति उपकरण

अनुचित क्रेडिट स्कोरिंग प्रणालियां

भेदभावपूर्ण चेहरे की पहचान के परिणाम

इससे नैतिक एआई विकास और पारदर्शी एल्गोरिदम के महत्व पर प्रकाश पड़ता है।

गलत सूचना और डीपफेक

एआई-जनित सामग्री अत्यधिक यथार्थवादी चित्र, वीडियो और पाठ तैयार कर सकती है। यद्यपि यह प्रौद्योगिकी रचनात्मक उद्योगों के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे गलत सूचनाएं भी फैल सकती हैं।

खतरों में शामिल हैंः

डीपफेक वीडियो जनमत को प्रभावित करते हैं

ड़े पैमाने पर फर्जी खबरें

मीडिया और संस्थाओं में विश्वास का क्षरण

जैसे-जैसे सिंथेटिक सामग्री अधिक विश्वसनीय होती जा रही है, सत्य को मनगढ़ंत से अलग करना कठिन होता जा रहा है।

सुरक्षा जोखिम और स्वायत्त हथियार

एआई को साइबर हमलों, स्वचालित हैकिंग उपकरणों और स्वायत्त हथियार प्रणालियों के माध्यम से हथियार बनाया जा सकता है, जो मानव हस्तक्षेप के बिना लक्ष्यीकरण संबंधी निर्णय लेने में सक्षम हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां संघर्ष की गति और पैमाने को बढ़ा सकती हैं।

मानव नियंत्रण का नुकसान और अतिनिर्भरता

जैसे-जैसे एआई प्रणालियां निर्णय लेने की भूमिका निभाती हैं, अतिनिर्भरता का खतरा बढ़ता जाता है। नेविगेशन प्रणालियों से लेकर स्वचालित चिकित्सा आकलन तक, मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता मानव निर्णय और आलोचनात्मक सोच कौशल को कमजोर कर सकती है।

नैतिक और अस्तित्व संबंधी चिंताएं

कुछ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी नेता चेतावनी देते हैं कि यदि एआई प्रणालियां मानव बुद्धिमत्ता से आगे निकल जाती हैं तो दीर्घकालिक जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। यद्यपि यह अटकलें हैं, लेकिन चिंताओं में निम्नलिखित शामिल हैं

मानवीय निगरानी का नुकसान

मनुष्य और मशीन के बीच गलत लक्ष्य

स्वायत्त निर्णय लेने में नैतिक दुविधाएं

ये मुद्दे सावधानीपूर्वक शासन और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

नवाचार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना

इन खतरों के बावजूद, एआई स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य इसे किस प्रकार डिजाइन, विनियमित और उपयोग करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई से मानवता को लाभ मिले, विशेषज्ञ सलाह देते हैंः

✓ मजबूत नैतिक दिशानिर्देश और पारदर्शिता ✓ डेटा गोपनीयता सुरक्षा ✓ कार्यबल पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रम ✓ उच्च जोखिम वाले एआई अनुप्रयोगों का विनियमन ✓ एआई सुरक्षा मानकों पर वैश्विक सहयोग

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब तक बनाई गई सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकियों में से एक है। यद्यपि यह बहुत अधिक लाभ प्रदान करता है, फिर भी इसके संभावित जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वास्तविक चुनौती एआई विकास को रोकना नहीं है, बल्कि इसे जिम्मेदारी से निर्देशित करना है। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या मानवता मानवीय गरिमा, सुरक्षा और स्वतंत्रता से समझौता किए बिना एआई की बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकती है।

सेवानिवृत्त प्रमुख शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

शोधकर्ताओं ने स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए नए अनुसंधान विकल्पों की खोज की

डॉ. विजय गर्ग

स्वस्थ उम्र बढ़ना, शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से तेज और रोग-मुक्त रहते हुए लंबे समय तक जीवित रहना आधुनिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक बन गया है। वैश्विक जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के साथ, शोधकर्ता केवल आयु बढ़ाने से लेकर स्वास्थ्य अवधि में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो अच्छे स्वास्थ्य में बिताए गए वर्ष हैं। हाल के अध्ययनों से ऐसे आशाजनक नए मार्ग सामने आए हैं जो उम्र बढ़ने को धीमा कर सकते हैं, बीमारियों को रोक सकते हैं और जीवन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं।

वर्षों से अधिक उम्र बढ़ने को समझना

परंपरागत रूप से, आयु को कालानुक्रमिक रूप से मापा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक अब जैविक आयु पर जोर देते हैं, जो कोशिकीय स्वास्थ्य और रोग के जोखिम को दर्शाता है। बायोमार्करों और जैविक घड़ियों में हुई प्रगति से शोधकर्ताओं को उम्र बढ़ने पर अधिक सटीक नज़र रखने और दीर्घायु को बढ़ावा देने वाले हस्तक्षेपों का मूल्यांकन करने की अनुमति मिलती है। नए मल्टी-ओमिक्स शोध से पता चलता है कि उम्र बढ़ने में व्यक्तियों के बीच व्यापक अंतर होता है, जिससे स्वस्थ दीर्घायु के लिए व्यक्तिगत रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

जीवनशैली में बड़े प्रभाव के साथ सूक्ष्म परिवर्तन

बढ़ते शोध से पता चलता है कि जीवनशैली में छोटे-छोटे सुधार स्वस्थ जीवन को काफी बढ़ा सकते हैं। एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि नींद, पोषण और शारीरिक गतिविधि में मामूली सुधार से रोग-मुक्त जीवन में वर्षों की वृद्धि हो सकती है, तथा यहां तक कि छोटे दैनिक परिवर्तन भी मापनीय लाभ उत्पन्न कर सकते हैं। यह समग्र दृष्टिकोण जीवनशैली में भारी परिवर्तनों के बजाय स्थिरता पर जोर देता है।

मस्तिष्क स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक प्रशिक्षण

संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखना स्वस्थ उम्र बढ़ने का आधार है। दीर्घकालिक शोध से पता चलता है कि लक्षित संज्ञानात्मक ₹गति प्रशिक्षण₹ व्यायाम, लगातार अभ्यास करने पर मनोभ्रंश के जोखिम को लगभग 25% तक कम कर सकते हैं। इस तरह के प्रशिक्षण से तंत्रिका संबंध मजबूत होते हैं और मस्तिष्क की लचीलापन में सुधार होता है, जिससे यह पता चलता है कि मानसिक फिटनेस शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है।

पोषण, पूरक आहार और सेलुलर एजिंग

दीर्घायु अनुसंधान में पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। उभरते साक्ष्यों से पता चलता है कि विटामिन डी की खुराक टेलोमेरेस की रक्षा करके और सूजन को कम करके कोशिकीय उम्र बढ़ने को धीमा कर सकती है। वैज्ञानिक पौधों के यौगिकों और आहार संबंधी फाइटोकेमिकल्स की भी खोज कर रहे हैं, क्योंकि इनमें सूजनरोधी और प्रतिरक्षा-सहायक गुण होते हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।

उम्र बढ़ने के जीव विज्ञान को लक्षित करना

आधुनिक जीरोसाइंस का उद्देश्य व्यक्तिगत बीमारियों के बजाय स्वयं उम्र बढ़ने का इलाज करना है। शोधकर्ता नेटवर्क मेडिसिन और एआई उपकरणों का उपयोग करके उन दवाओं की पहचान कर रहे हैं जो उम्र बढ़ने और आयु-संबंधी बीमारियों से जुड़े जैविक मार्गों को प्रभावित कर सकती हैं। यह दृष्टिकोण स्वस्थ जीवनकाल बढ़ाने वाली चिकित्सा पद्धतियों की खोज में तेजी ला सकता है।

बायोमार्कर और प्रारंभिक पहचान

वैज्ञानिक उन्नत बायोमार्कर विकसित कर रहे हैं, जिनमें एपिजेनेटिक घड़ियां, सूजन मार्कर, मांसपेशियों की ताकत के मापदंड और संज्ञानात्मक परीक्षण शामिल हैं। ऐसे उपकरण आयु-संबंधी गिरावट का शीघ्र पता लगाने में सक्षम होते हैं तथा व्यक्तिगत रोकथाम रणनीतियों की अनुमति देते हैं।

भविष्यः व्यक्तिगत दीर्घायु चिकित्सा

स्वस्थ उम्र बढ़ने का भविष्य आनुवंशिकी, जीवनशैली, डिजिटल स्वास्थ्य निगरानी और एआई-संचालित विश्लेषण को एकीकृत करने में निहित है। सटीक चिकित्सा दृष्टिकोण का उद्देश्य व्यक्तिगत उम्र बढ़ने के पैटर्न के अनुसार हस्तक्षेप करना है, जिससे लोगों को बाद में भी जीवन शक्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी।

सेलुलर रीप्रोग्रामिंग और ₹रीसेट₹ प्रौद्योगिकी वृद्धावस्था अनुसंधान में सबसे आम बदलावों में से एक एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग का उपयोग है। शोधकर्ता अब केवल क्षति को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं; वे कोशिकाओं को अधिक युवा अवस्था में लाने का प्रयास कर रहे हैं। यामानाका कारकः वैज्ञानिक विशिष्ट प्रतिलेखन कारकों के उपयोग को परिष्कृत कर रहे हैं जो एक ₹थके हुए₹ वयस्क कोशिका को पुनः स्टेम जैसी स्थिति में बदल सकते हैं। ₹रीसेट₹ प्लेटफॉर्मः नए एआई-संचालित प्लेटफार्म कोशिकाओं को कैंसरग्रस्त होने के जोखिम के बिना कोशिका क्षति की मरम्मत के लिए आवश्यक सटीक संकेतों की पहचान कर रहे हैं। यह पिछले वर्षों में एक बड़ी बाधा थी। Clock.bio पहलः स्टार्टअप अब मानव प्रेरित बहुशक्तिशाली स्टेम कोशिकाओं (iPSCs) का उपयोग कर रहे हैं, ताकि एक ₹स्व-पुनरुत्थान तंत्र₹ को सक्रिय किया जा सके, जो प्रभावी रूप से कोशिकाओं को अपनी उम्र बढ़ने की विशेषताओं को ठीक करने के लिए मजबूर करता है।

₹ज़ॉम्बीर कोशिकाओं को लक्षित करना (सेनोलिटिक्स) कोशिकीय वृद्धावस्था पर शोध एक नैदानिक मोड़ पर पहुंच गया है। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कुछ कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं, लेकिन मरती नहीं हैं; इसके बजाय, वे ₹ज़ॉम्बी कोशिकाओं₹ के रूप में बनी रहती हैं, तथा सूजन पैदा करने वाले रसायन स्रावित करती हैं जो पड़ोसी स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। डीपसेन्स एआईः ड्यूक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में डीपसेंस नामक एक एआई उपकरण विकसित किया है, जो विभिन्न ऊतकों में इन वृद्ध कोशिकाओं का सटीक पता लगा सकता है, जिससे अधिक सटीक लक्ष्यीकरण संभव हो सके। अगली पीढ़ी के सेनोलिटिक्सः इन कोशिकाओं को चुनिंदा रूप से साफ करने के लिए नए फार्मास्युटिकल एजेंटों का परीक्षण किया जा रहा है, जिससे जैविक आयु महीनों की बजाय वर्षों में बदल सकती है।

₹जैविक समन्वय₹ सिद्धांत 2026 की शुरुआत में, एक नया वैचारिक ढांचा सामने आयाः उम्र बढ़ना कोई ₹दोष₹ या एकल ₹टूटा हुआ हिस्सा₹ नहीं हो सकता है, बल्कि जैविक प्रणालियों के बीच समन्वय का नुकसान हो सकता है।

सिस्टम लचीलापनः अनुसंधान अब यह देख रहा है कि आंत का माइक्रोबायोम, माइटोकॉन्ड्रिया और मस्तिष्क एक दूसरे से कैसे ₹बात करते हैं₹। हस्तक्षेपः एक समस्या के लिए एक गोली के बजाय, शोधकर्ता ₹सिस्टम मेडिसिन₹ विकसित कर रहे हैं जो आपके चयापचय और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच समन्वय बनाए रखने में मदद करती है। 4. सफलता बायोमार्कर और उम्र बढ़ने वाली घड़ियां आप जो माप नहीं सकते उसे ठीक नहीं कर सकते। एपिजेनेटिक घड़ियों (डीएनए मिथाइलेशन को मापने वाली) और प्रोटीओमिक स्कोर (रक्त-आधारित प्रोटीन मार्कर) के विकास से अब डॉक्टरों को किसी व्यक्ति की ₹जैविक आयु₹ का अनुमान लगाने में मदद मिलती है पूर्वानुमानित स्वास्थ्यः ये घड़ियाँ अब शारीरिक लक्षण प्रकट होने से कई वर्ष पहले ही ₹कमजोरी₹ की भविष्यवाणी कर सकती हैं। वैक्सीन अंतर्दृष्टिः यूएससी द्वारा 2026 में किए गए एक आश्चर्यजनक अध्ययन से पता चला कि सामान्य टीकाकरण (जैसे शिंगल्स वैक्सीन) धीमी जैविक उम्र बढ़ने से जुड़ा हुआ है, जो संभवतः पुरानी प्रणालीगत सूजन को कम करता है

निष्कर्ष

नये शोध से उम्र बढ़ने के बारे में हमारी समझ बदल रही है। गिरावट को अपरिहार्य मानने के बजाय, विज्ञान अब स्वस्थ और लंबे जीवन की ओर व्यावहारिक मार्ग प्रस्तुत करता है। जीवनशैली में सुधार, संज्ञानात्मक सहभागिता, पोषण संबंधी सहायता, बायोमार्कर निगरानी और उन्नत चिकित्सा अनुसंधान के माध्यम से, स्वस्थ उम्र बढ़ने का एजुकेशनिस्ट सपना एक प्राप्त करने योग्य वास्तविकता बन रहा है।

स्वस्थ उम्र बढ़ना अब केवल जीवन में वर्ष जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि वर्षों में जीवन जोड़ना है।

आओ भारतीय भाषाओं को विलुप्त होने से बचाएं

भारतीय भाषाओं का वैज्ञानिक और तकनीकी संरक्षण जरूरी– भाषा यह संचार के एक माध्यम से कहीं अधिक एक अदृश्य धागा है जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है

भारतीय भाषाएं भारत रूपी माला में पिरोए मोती हैं जिसके प्रकाश से भारत आज विश्व में जगमगा रहा है– एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

भारत देश संस्कृति, भाषाओं, उपनिषद साहित्य से पिरोई ऐसी ख़ूबसूरत माला है जो वैश्विक रूप से अनमोल है इस भारतीय विरासत को देखने हज़ारों की संख्या में सैलानी भारत आते हैं और यह भारतीय ख़ूबसूरती विश्व प्रसिद्ध हैं। साथियों इस भारत रूपी माला में पिरोए मोतियों में से भाषा एक अनमोल मोती है।

साथियों बात अगर हम भाषा की करें तो, भाषा, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है, जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है।किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि स्वर एक व्यवस्था में मिलकर एक सम्पूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं।सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान-प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है।

साथियों बात अगर हम भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची की करें तो, इसमें 22 भाषाएँ तो आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं ही पर यदि सब गिनी जाएँ तो हमारे देश में 30 से अधिक भाषाओं के साथ 100 से अधिक क्षेत्रीय भाषाएँ भी हैं।अनुसूचित भाषाएं 1) असमिया, (2) बंगला, (3) बोड़ो, (4) डोगरी, (5) गुजराती, (6) हिंदी, (7) कन्नड़, (8) कश्मीरी, (9) कोंकणी, (10) मैथिली, (11) मलयालम, (12) मणिपुरी, (13) मराठी, (14) नेपाली, (15) उड़िया, (16) पंजाबी, (17) संस्कृत, (18) संथाली, (19) सिंधी, (20) तमिल, (21) तेलुगू और (22) उर्दू।

साथियों बात अगर हम हिंदी भाषा की करें तो, यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है।जो हमारे पारम्परिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है।संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है।

साथियों बात अगर हम सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित भाषाओं की करें तो यह भारतीयता की ख़ूबसूरती है कि, इतनी भाषाओं के बीच भारत अपनी ख़ूबसूरती बिखेर रहा है।यह भारतवर्ष के लिए आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि मुख से उच्चारित भाषा के आदान-प्रदान से ही ज्ञान की ज्योत प्रजवलित होती हैं।हमें इन सभी भाषाओं, जो अनुसूचित नहीं भी हैं, उसका संरक्षण करना जरूरी है

साथियों बात अगर हम अंग्रेजी भाषा की करें तो आज के आधुनिक डिजिटलाइजेशन युग में अंग्रेजी बोलचाल का फ़ैशन सा हो गया है, जो मातृभाषा में बात करता है उसे हम पुराने ज़माने की सोच का दर्जा देते हैं।हम अपने सामाजिक भाषाओं की विलुप्तता को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं जिसे रोकना होगा।क्योंकि हमारे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश सहित अनेक प्रशानिक व्यक्तित्व की प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही हुई है। इसलिए भारतीय भाषाएं भारत रूपी माला में पिरोए वह मोती हैं जिसके प्रकाश से ही आज भारत विश्व में जगमगा रहा है।इसलिए भारतीय भाषाओं का वैज्ञानिक और तकनीकी स्तर पर संरक्षण जरूरी है।

साथियों बात अगर हम भारतीय भाषाओं के संरक्षण में माननीय उपराष्ट्रपति के एक भारतीय भाषा दिवस के अवसर पर वर्चुअल संबोधन की करें तो पीआईबी की प्रेसविज्ञप्ति के अनुसार, उपराष्ट्रपति ने इसका उल्लेख किया कि भाषा न केवल हमारी पहचान का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है।इसके लिए, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में होने की जरूरत को रेखांकित किया, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है और आखिरकार उच्चतर व तकनीकी शिक्षा तक इसे विस्तारित किया जाना है।उन्होंने व्यापक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली में भी सुधार का सुझाव दिया। और कहा, यह आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा और धीरे-धीरे आत्मानिर्भर भारत की राह बनाएगा।भारतीय भाषाओंके इस्तेमाल को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कुछ उपायों की सूची बनाते हुए, उपराष्ट्रपति ने प्रशासन में स्थानीय भाषाओं के उपयोग, बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और शहरों व गांवों में पुस्तकालयों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया।उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओंके साहित्यिक कार्यों का अनुवाद करने के लिए और अधिक पहल करने का भी आह्वान किया। उन्होंने इस बात की इच्छा व्यक्त की कि बच्चों को खेल और गतिविधियों के जरिए सरल तरीके से भाषा की बारीकियां सिखाया जाएं।भाषा की जीवंत संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है।उन्होंने इस बात पर भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि सांस्कृतिक और भाषाई पुनर्जागरण को लोगों का अधिक से अधिक समर्थन मिल रहा है।उन्होंने इस बात पर भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि सांस्कृतिक और भाषाई पुनर्जागरण को लोगों का अधिक से अधिक समर्थन मिल रहा है।

पारदर्शिता की पहल, पर एकरूपता के अभाव में अदालतों तक पहुंचते कर्मचारी

(आदर्श ऑनलाइन स्थानांतरण नीति विशेष)

(सभी कर्मचारियों की एकमुश्त अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि कार्यस्थल वरिष्ठता निष्पक्ष रूप से निर्धारित हो और भविष्य में किसी प्रकार की असमानता या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू होने के बाद पारंपरिक स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सभी विभागों में समान कार्यकाल व्यवस्था लागू हो, जिससे कर्मचारियों को समान अवसर मिल सकें। नई नियुक्तियों को समयबद्ध रूप से ऑनलाइन प्रणाली में शामिल किया जाए, ताकि वरिष्ठता प्रभावित न हो। स्थानांतरण प्रक्रिया का निश्चित वार्षिक कार्यक्रम हो, जिससे पारदर्शिता बढ़े और कर्मचारियों में अनिश्चितता समाप्त हो।)

– डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई आदर्श ऑनलाइन स्थानांतरण नीति प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर मनमानी, सिफारिश, पक्षपात और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही हैं। इन समस्याओं को समाप्त करने और प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष तथा योग्यता आधारित बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन स्थानांतरण व्यवस्था लागू की गई। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता, सेवा अवधि और विशेष परिस्थितियों के आधार पर न्यायपूर्ण तरीके से कार्यस्थल आवंटित किया जाए तथा किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो।

यह नीति आधुनिक प्रशासनिक सोच और तकनीकी उपयोग का सकारात्मक उदाहरण है।50 या उससे अधिक पदों वाले संवर्गों पर लागू इस व्यवस्था में 80 अंकों का योग्यता आधारित मूल्यांकन तंत्र निर्धारित किया गया है। इसमें आयु और कुल सेवा अवधि को प्रमुख आधार बनाया गया है, जिससे वरिष्ठता को उचित महत्व मिल सके। सेवा अवधि को 365 दिनों से विभाजित कर अंक निर्धारित किए जाते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनती है। महिला कर्मचारियों को 10 अंक, पति–पत्नी मामलों में 5 अंक तथा गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के मामलों में 10 से 20 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं।

पूरी प्रक्रिया मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली से जुड़े ऑनलाइन मंच के माध्यम से संचालित होती है। अधिसूचना जारी होने के बाद संवर्ग सूची सार्वजनिक की जाती है और कर्मचारी एकमुश्त पासवर्ड के माध्यम से सत्यापन कर अपने पसंदीदा कार्यस्थलों का चयन करते हैं। निर्धारित समय में विकल्प प्रस्तुत न करने की स्थिति में कर्मचारी को किसी भी स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है। अतिरिक्त पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाता है तथा आदेश जारी होने के निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होता है।

नीति लागू होने के बाद कई विभागों में पारदर्शिता बढ़ी है और शिकायतों में कमी भी आई है। ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र ने कर्मचारियों को अपनी बात रखने का मंच दिया है। इससे यह विश्वास मजबूत हुआ है कि अंकीय प्रणाली के माध्यम से प्रशासनिक सुधार प्रभावी रूप से लागू किए जा सकते हैं।

फिर भी, नीति के क्रियान्वयन में एकरूपता का अभाव इसकी सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। सभी विभागों में समान कार्यकाल, समान समय-सारिणी और समान नियम लागू नहीं हैं। कहीं न्यूनतम कार्यकाल अलग है, कहीं अधिकतम कार्यकाल की सीमा भिन्न है, तो कहीं विशेष परिस्थितियों की परिभाषा बदल जाती है। इससे समान संवर्ग के कर्मचारियों के बीच असमानता उत्पन्न होती है और नीति की मूल भावना प्रभावित होती है।

ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान की पहली ही प्रक्रिया में सभी कर्मचारियों की एकमुश्त अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रारंभिक चरण में कुछ कर्मचारी किसी कारणवश बाहर रह जाते हैं, तो उनकी कार्यस्थल वरिष्ठता प्रभावित होती है और भविष्य में विवाद की स्थिति बनती है। इसलिए "एक बार की अनिवार्य सहभागिता" के माध्यम से सभी कर्मचारियों को समान आधार पर लाना चाहिए।

सभी विभागों में निर्धारित कार्यकाल समान होना चाहिए। उदाहरण के लिए न्यूनतम कार्यकाल एक वर्ष या एक स्थानांतरण अभियान से अगले अभियान तक तथा अधिकतम कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित किया जा सकता है। इससे कोई भी कर्मचारी अत्यधिक लंबे समय तक एक ही स्थान पर नहीं रहेगा और न ही किसी को अल्प अवधि में बार-बार स्थानांतरण झेलना पड़ेगा।

जब भी नई नियुक्ति हो, उसे अनिवार्य रूप से अगले स्थानांतरण अभियान में शामिल किया जाना चाहिए। यदि ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू होने के बाद अब तक कोई कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ है, तो उसे वर्तमान अभियान में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे सभी कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर कार्यस्थल प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और मनमानी या रिश्वतखोरी के माध्यम से पारंपरिक आदेशों द्वारा कार्यस्थल प्राप्त करने की प्रवृत्ति समाप्त होगी।

सभी विभागों में स्थानांतरण अभियान एक ही समय पर पूरा किया जाना चाहिए। इससे पति–पत्नी प्रकरणों में निर्णय लेने में सुविधा होगी और परिवारों को अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि विभिन्न विभाग अलग-अलग समय पर स्थानांतरण करेंगे, तो पारिवारिक समन्वय कठिन हो जाता है।

कार्यकाल की गणना करते समय वित्तीय वर्ष को एक वर्ष माना जाना चाहिए, न कि दिनों की गणना के आधार पर। कई बार स्थानांतरण अभियान वित्तीय वर्ष के मध्य में पूरा होता है और कार्यभार ग्रहण वर्ष के अंतिम चरण में होता है, जिससे कार्यकाल की गणना में एक वर्ष का अंतर उत्पन्न हो जाता है। यदि वित्तीय वर्ष को पूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया जाए, तो कट-ऑफ तिथि से संबंधित विवाद समाप्त हो सकते हैं।

हर वर्ष एक निश्चित और पूर्व घोषित समय-सारिणी के अनुसार स्थानांतरण अभियान चलाया जाना चाहिए। यदि यह प्रक्रिया नियमित और वार्षिक हो, तो कर्मचारियों में अनिश्चितता समाप्त होगी और प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा। अनियमित या विलंबित अभियान से भ्रम और असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है।

पद पुनर्संरचना या युक्तिकरण की प्रक्रिया के दौरान, यदि अगली भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी हो, तो न्यूनतम पदों को अवरुद्ध किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को अपने निवास स्थान के निकट कार्यस्थल मिलने की अधिक संभावना रहे। यदि एक बार सभी कर्मचारियों को शामिल कर व्यापक स्तर पर युक्तिकरण किया जाए, तो भविष्य में बार-बार इस प्रक्रिया की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।

वर्तमान में कई कर्मचारियों के नियुक्ति आदेशों में "अनिवार्य सहभागिता" का स्पष्ट उल्लेख है, किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि यदि कोई कर्मचारी किसी कारणवश अभियान में भाग नहीं ले पाता, तो उसकी कार्यस्थल वरिष्ठता और अधिकारों का संरक्षण कैसे होगा। इस अस्पष्टता के कारण कई कर्मचारी प्रक्रिया से बाहर रह गए, जिससे असमानता और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई।

सबसे गंभीर चिंता यह है कि ऑनलाइन नीति लागू होने के बाद भी कुछ स्थानांतरण पारंपरिक माध्यम से किए गए हैं। यह स्थिति नीति की पारदर्शिता और निष्पक्षता के विपरीत है। जब कुछ कर्मचारियों को अंकीय आधार पर और कुछ को पारंपरिक आदेशों से कार्यस्थल दिए जाते हैं, तो समान अवसर का सिद्धांत कमजोर पड़ जाता है। ऐसी समानांतर व्यवस्था नीति को संदेह के दायरे में लाती है और कर्मचारियों के बीच भेदभाव की भावना उत्पन्न करती है।

इन्हीं विसंगतियों के कारण अनेक कर्मचारी न्यायालयों की शरण लेने को विवश हो रहे हैं। समान पद और समान सेवा अवधि के बावजूद अलग-अलग व्यवहार से विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। न्यायालयी प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कठिन होती है, साथ ही प्रशासन पर भी अतिरिक्त बोझ डालती है।

यदि नीति को पूर्णतः एकरूप और अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, सभी कर्मचारियों की एकमुश्त सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा पारंपरिक स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, तो न्यायालयों में जाने की आवश्यकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इससे कर्मचारियों का विश्वास मजबूत होगा और प्रशासनिक प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

"हुकूमतें बाँटती रहीं ख्वाब मुफ़्त में, क़र्ज़ हमने चुपचाप अगली पीढ़ी को दे दिया।"

आशीष कुमार, स्पेशल रिपोर्टर
परिवहन विशेष

आज मैं आपसे कोई नहीं सुनाऊंगा।

आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ।

वो सवाल, जो शायद हम सब के मन में कहीं दबा पड़ा है,

लेकिन हम उसे ज़ोर से बोलने से डरते हैं।

सवाल ये है

क्या हमारे देश का लोकतंत्र धीरे-धीरे "डिस्काउंट ऑफर" बनता जा रहा है?

जहाँ वोट के बदले सुविधाएँ हैं,

और सवाल पूछने की जगह चुप्पी है।

आज भारत में चुनाव आते हैं,

तो विकास की बात पीछे छूट जाती है,

और आगे आ जाती है मुफ़्त योजनाओं की राजनीति।

चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होते हैं। यही वह समय होता है जब जनता अपने प्रतिनिधियों से सवाल करती है, जवाब माँगती है और आने वाले भविष्य की दिशा तय करती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय चुनावों का चरित्र तेज़ी से बदला है। बहस अब नीति, शिक्षा, रोज़गार या स्वास्थ्य पर नहीं होती, बल्कि इस पर सिमट गई है कि कौन कितनी "मुफ़्त सुविधाएँ" दे सकता है। इसे जनकल्याण कहा जाता है, लेकिन क्या सच में यह कल्याण है, या सत्ता तक पहुँचने का सबसे आसान रास्ता?

आज भारत की राजनीति में फ्रीबी कल्चर कोई अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य नियम बन चुका है। टीवी, लैपटॉप, साइकिल से लेकर नकद पैसे तक सब कुछ चुनावी वादों की थाली में परोसा जा रहा है। तात्कालिक रूप से इसका लाभ राजनीतिक दलों को ज़रूर मिलता है। वोट मिलते हैं, सत्ता मिलती है, सरकार बन जाती है। लेकिन इस तात्कालिक जीत की क़ीमत कौन चुकाता है? जवाब साफ़ है देश।

समर्थक तर्क देते हैं कि ये योजनाएँ गरीबों और वंचितों की मदद करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि टार्गेटेड वेलफेयर योजनाएँ, जैसे मिड-डे मील, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा ने समाज के कमजोर वर्गों को राहत दी है। मिड-डे मील से बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, साइकिल योजनाओं से लड़कियों की स्कूल तक पहुँच आसान हुई, लैपटॉप और डिजिटल साधनों ने तकनीक से जोड़ने का काम किया। इन योजनाओं ने मानव पूंजी को मजबूत किया और समाज में बराबरी की भावना को बढ़ाया।

लेकिन समस्या यहाँ से शुरू होती है, जहाँ कल्याण और चुनावी लालच की रेखा धुंधली हो जाती है। जब चुनाव से ठीक पहले योजनाओं की बौछार होती है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद खातों में पैसे डाले जाते हैं, तब सवाल उठना लाज़मी है कि क्या यह जनसेवा है या वोट की खुली खरीद?

कहा जाता है कि ये जनकल्याण है।

मैं पूछता हूँ

क्या जनकल्याण चुनाव की तारीख देखकर किया जाता है?

अगर सच में जनकल्याण होता,

तो ये योजनाएँ पाँच साल चलतीं,

सिर्फ़ पाँच हफ्ते नहीं।

आज स्थिति यह है कि मुफ़्त योजनाएँ हर पार्टी के लिए राजनीतिक हथियार बन चुकी हैं। कोई पीछे हटना नहीं चाहता, क्योंकि डर है कि अगर हमने नहीं दिया, तो वोट कोई और ले जाएगा। यह एक खतरनाक चक्र है, रेस टू द बॉटम, जहाँ लोकतंत्र धीरे-धीरे सौदेबाज़ी में बदलता जा रहा है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में संस्थाओं की साख दांव पर लग रही है। चुनाव आयोग हो, वित्तीय संस्थाएँ हों या अन्य स्वतंत्र निकाय, अगर इन पर जनता और विपक्ष का भरोसा कमजोर होता गया, तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगेगी। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन संस्थाओं को इसलिए स्वतंत्र बनाया था ताकि सत्ता चाहे जिसकी भी हो, लोकतांत्रिक मूल्य सुरक्षित रहें। आज हमें खुद से पूछना होगा कि हमने उस सोच के साथ क्या किया?

मुझे ग़लत मत समझिए।

मैं मुफ़्त योजनाओं का विरोधी नहीं हूँ।

मिड-डे मील ने बच्चों को स्कूल पहुँचाया- ये सच है।

साइकिल योजना ने लड़कियों को हौसला दिया- ये भी सच है।

लैपटॉप ने गाँव के बच्चों को दुनिया से जोड़ा- ये भी सच है।

लेकिन जनकल्याण और चुनावी लालच में फर्क होता है।

जनकल्याण नीति से आता है,

और चुनावी लालच रणनीति से।

विश्वगुरु बनने का सपना केवल भाषणों और नारों से पूरा नहीं होता। उसके लिए मज़बूत अर्थव्यवस्था, जवाबदेह राजनीति और भरोसेमंद संस्थाएँ चाहिए। मुफ़्त योजनाओं और जनकल्याण के बीच फर्क को समझना, और उसे ईमानदारी से लागू करना, आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है।

अब ज़रा बिहार का उदाहरण देखिए।

चुनाव का दिन।

मतदान की लाइन में लोग खड़े हैं।

और उसी समय

हज़ारों महिलाओं के खातों में ₹10,000 ट्रांसफर हो रहे हैं।

सोचिए...

वोट डालने से पहले खाते में पैसा।

यह लोकतंत्र है?

या लोकतंत्र का लाइव ट्रायल?

यह दृश्य लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है। सवाल सिर्फ़ पैसों का नहीं है, सवाल प्रक्रिया की पवित्रता का है। बहस अब नीति, शिक्षा, रोज़गार या स्वास्थ्य पर नहीं होती, बल्कि इस पर सिमट गई है कि कौन कितनी "मुफ़्त सुविधाएँ" दे सकता है। इसे जनकल्याण कहा जाता है, लेकिन क्या सच में यह कल्याण है, या सत्ता तक पहुँचने का सबसे आसान रास्ता?

मैं पूछना चाहता हूँ

कहाँ है चुनाव आयोग?

क्या उसकी आँखों पर पट्टी बँधी है,

या ज़मीर पर?

चुनाव आयोग कोई सरकारी दफ़्तर नहीं है।

वो हमारे संविधान की आत्मा है।

उसे इसलिए बनाया गया था,

ताकि सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके।

तो आज सवाल उठता है

क्या उसकी विश्वसनीयता बची है?

और अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है,

तो उसे देशद्रोही क्यों बताया जा रहा है?

याद रखिए

विपक्ष सरकार का दुश्मन नहीं होता।

विपक्ष लोकतंत्र की ज़रूरत होता है।

यह समझना ज़रूरी है कि विपक्ष देश का दुश्मन नहीं होता। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना, संस्थाओं पर सवाल उठाना और पारदर्शिता माँगना एक स्वस्थ प्रक्रिया है। अगर विपक्ष यह कह रहा है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा है, तो यह आयोग की ज़िम्मेदारी है कि वह खुलकर, पारदर्शी तरीके से जवाब दे। लोकतंत्र में भरोसा आदेश से नहीं, आचरण से बनता है।

अगर विपक्ष भरोसा खो रहा है,

तो दोष विपक्ष का नहीं,

संस्थाओं की चुप्पी का है।

अब बात करते हैं असली कीमत की।

ये मुफ़्त योजनाएँ

राजनीतिक पार्टियों को शॉर्ट टर्म फ़ायदा देती हैं।

चुनाव जीत जाते हैं।

सरकार बन जाती है।

लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान देश का होता है।

जो पैसा स्कूल बनाने में लगना था,

वो वोट खरीदने में लग जाता है।

जो पैसा अस्पताल में डॉक्टर रखने का था,

वो चुनावी घोषणाओं में उड़ जाता है।

नतीजा?

राज्यों पर कर्ज़ बढ़ता है।

वित्तीय घाटा बढ़ता है।

और आने वाली पीढ़ी

हमारे फैसलों की कीमत चुकाती है।

हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं?

एक मजबूत देश?

या कर्ज़ में डूबा भविष्य?

कहा जा रहा है

महिलाओं के लिए योजनाएँ हैं,

इसलिए महिला वोटर बढ़ रही हैं।

यह एक सकारात्मक बदलाव है।

महिलाएँ अब सिर्फ़ वोटर नहीं,

निर्णायक शक्ति बन रही हैं।

लेकिन मैं पूछता हूँ

क्या हम महिलाओं को नागरिक बना रहे हैं,

या सिर्फ़ लाभार्थी?

सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ़ पैसा नहीं होता।

सशक्तिकरण का मतलब होता है

शिक्षा, रोज़गार और निर्णय की ताक़त।

अगर हर चुनाव से पहले पैसा देकर

हम उन्हें याद करते हैं,

और चुनाव के बाद भूल जाते हैं,

तो यह सम्मान नहीं,

यह इस्तेमाल है।

सबसे डरावनी बात ये है कि

अब मुफ़्त योजनाएँ

राजनीतिक हथियार बन चुकी हैं।

हर पार्टी कहती है

अगर हमने नहीं दिया,

तो दूसरी पार्टी दे देगी।

और यहीं से शुरू होती है

लोकतंत्र की सबसे खतरनाक दौड़

नीचे गिरने की दौड़।

आज कोई पीछे हटने को तैयार नहीं।

क्योंकि नैतिकता से चुनाव नहीं जीते जाते,

ऐसा मान लिया गया है।

अब खुद से एक आख़िरी सवाल पूछिए-

हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं?

एक ऐसा भारत

जहाँ वोट की कीमत ₹10,000 हो?

या एक ऐसा भारत

जहाँ वोट की कीमत सवाल पूछने की आज़ादी हो?

चुनाव आएँगे।

सरकारें बदलेंगी।

योजनाएँ आएँगी-जाएँगी।

लेकिन देश रहना चाहिए।

संविधान रहना चाहिए।

संस्थाओं की साख रहनी चाहिए।

अगर आज हमने लोकतंत्र को

चुनावी ऑफ़र में बदल दिया,

तो कल हम सिर्फ़ मतदाता नहीं रहेंगे

हम ग्राहक बन जाएँगे।

और लोकतंत्र में

नागरिक होना ज़रूरी है,

ग्राहक नहीं।

"ये देश किसी एक पार्टी का नहीं,

ना ही किसी एक चुनाव का है।

ये देश गांधी का है ये देश बुद्ध का हैं

ये देश नेहरू और अम्बेडकर का है,

ये देश तभी बचेगा,

जब सवाल ज़िंदा रहेंगे

और संस्थाएँ ख़ामोश नहीं होंगी।"

संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस को समर्पित समागम पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न

संगरूर, 17 फरवरी (जगसीर सिंह) - कबीरपंथी

संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस को समर्पित तीन दिन का कार्यक्रम पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। पंजाब के सतलोक आश्रम धूरी और सतलोक आश्रम खमाणों में आयोजित यह बड़ा आध्यात्मिक कार्यक्रम रविवार को भक्ति, सेवा और सामाजिक जागरूकता के संदेश के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और देश-विदेश से संगत ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर आध्यात्मिक लाभ उठाया। कार्यक्रम के आखिरी दिन संत गरीब दास जी महाराज की अमृतबाणी के अखंड पाठ के भोग पड़े। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने वर्चुअल सत्संग के जरिए संगत को संबोधित करते हुए कबीर साहिब जी की बाणी का सही मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि सच्चे सतगुरु की प्राप्ति के बिना इंसान के जीवन का मूल उद्देश्य अधूरा रहता है और जिस दिन इंसान को पूरा संत मिल जाता है, उसी दिन असली जीवन की शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने अलग-अलग धार्मिक ग्रंथों के हवाले से साफ किया कि पुराने संत का मिलना बहुत मुश्किल है और यही सच्ची भक्ति का रास्ता दिखाता है। समागम के दौरान आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी कड़ा संदेश दिया गया। दहेज जैसी बुरी प्रथा

को जड़ से खत्म करने के मकसद से दहेज रहित शादियां करवाई गईं, जिन्हें संगत और समाज का बहुत सपोर्ट मिला। इंसानियत की सेवा को आगे बढ़ाते हुए समागम के दौरान 22वां ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया, जिसमें सैकड़ों वॉलंटियर्स ने अपनी मर्ज़ी से ब्लड डोनेट किया। इसके अलावा, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से आश्रम की और से इंसानियत की सेवा काम भी लगातार किए जा रहे हैं। गरीब और बेसहारा परिवारों को राशन बांटना, अनाथ बच्चों की मदद करना और बाढ़ पीड़ितों को खाना और जरूरी सामान पहुंचाना जैसी सेवाओं के जरिए इंसानियत की सच्ची मिसाल पेश की गई। समागम के दौरान लगाई गई एक खास आध्यात्मिक प्रदर्शनी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के जीवन और शिक्षाओं को तस्वीरों के जरिए दिखाया गया। साथ ही, अलग-अलग धर्मों के पवित्र ग्रंथों को उपलब्ध कराकर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने की कोशिश की गई। पूरे समागम से यह साफ़ हो गया कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं सिर्फ़ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय भलाई के लिए भी एक मिसाल हैं, जो आज के दौर में समाज को एक नई दिशा दे रही हैं।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026: नवाचार से राष्ट्र निर्माण तक

-सुनील कुमार महला

आज का समय तकनीक का समय है, या यूँ कहें कि हम तकनीक के युग में सांस ले रहे हैं। यह तकनीक ही है, जो मनुष्य के जीवन को अधिक सुविधाजनक बना रही है, लेकिन इसके साथ-साथ हमारी सोच, कार्यशैली और आदतें भी आज बदल रही है। कहना ग़लत नहीं होगा कि वर्तमान दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) इस परिवर्तन का सबसे प्रमुख उदाहरण बनकर उभरी है। तेजी से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच दुनिया भर में आधुनिक तकनीकों के विकास और नवाचार पर विशेष जोर बढ़ा है। आज दुनिया के विभिन्न देश अपनी नीतियों में नई-नई तकनीकों व नवाचारों को शामिल कर अपने देश की विभिन्न पारंपरिक कार्यप्रणालियों को लगातार बदल रहे हैं। विशेष रूप से एआई ने वैश्विक स्तर पर कार्य प्रणाली और मानव भूमिका को गहराई से प्रभावित किया है, इसलिए आज इसे विकास के लिए अनिवार्य और बहुत ही अहम माना जा रहा है। इसी संदर्भ में, नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण एआई शिखर सम्मेलन (इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026; 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक) आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एआई की संभावनाओं, इसकी चुनौतियों, रोजगार पर इसका प्रभाव और आम जीवन में इसके उपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज एआई का दायरा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, कारोबार और रक्षा जैसे क्षेत्रों तक फैल चुका है, जिससे नए अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि रोजगार पर प्रभाव, जोखिम, डेटा सुरक्षा और पर्यावरणीय असर जैसी चिंताएँ भी इसके कारण सामने आई हैं। विशेष रूप से डेटा केंद्रों में ऊर्जा और पानी की बढ़ती खपत को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। इसलिए एआई आधारित विकास को सफल बनाने के लिए इसके लाभों के साथ-साथ संभावित खतरों के समाधान पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह पाँच दिवसीय कार्यक्रम ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला प्रमुख एआई शिखर सम्मेलन माना जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं और एआई नीति तथा नवाचार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। गौरतलब है कि यह समिट भारत मंडपम सहित नई दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर आयोजित हो रही है तथा इसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी है, साथ ही शीर्ष तकनीकी कंपनियों जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), शोधकर्ता, नीति-निर्माता और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के दौरान 500 से अधिक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि 800 से अधिक प्रदर्शक, स्टार्टअप, शोध संस्थान और राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल इसमें भाग ले रहे हैं।

16-20 फरवरी तक आयोजित यह एआई शिखर सम्मेलन भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के क्षेत्र में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जबकि उससे आगे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अनुसार भारत का स्कोर 21.59 है, जबकि अमेरिका का 78.6 और चीन का 36.95 है। इस सूचकांक में भारत कई विकसित देशों जैसे दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस से आगे है। भारत वर्तमान में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ एआई के क्षेत्र में अग्रणी विकासशील देश भी बन चुका है। इसलिए इस स्तर का वैश्विक आयोजन पहली बार किसी विकासशील देश में होना ऐतिहासिक माना जा रहा है। सम्मेलन में 13 देशों के लगभग 300 पवेलियन वाले एक्सपो का आयोजन भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई के माध्यम से आम लोगों तक तकनीक के लाभ पहुँचाने, सस्ती तकनीक उपलब्ध कराने और वैश्विक असमानताओं को कम करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते देश निवेश बढ़ाए, प्रतिभाओं को बनाए रखे और अनुकूल तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करे।

वास्तव में, यह समागम विश्व के सबसे बड़े एआई आयोजनों में से एक माना जा रहा है और ग्लोबल साउथ में आयोजित पहली बड़ी एआई शिखर बैठक के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भारत सहित विभिन्न विकासशील देशों की भूमिका मजबूत होगी। सम्मेलन में एआई आधारित नवाचार, प्रतियोगिताएँ, हैकाथॉन तथा करोड़ों रुपये के पुरस्कार वाले कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे विभिन्न देशों को उद्योग और निवेश के अवसर मिल रहे हैं, साथ ही एआई के वास्तविक उपयोग (एप्लीकेशन), स्टार्टअप सहयोग और व्यापारिक साझेदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

यदि हम यहां पर इस समिट के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो, इनमें क्रमशः: समावेशी और जिम्मेदार एआई विकास (एआई सभी के लिए और अच्छे के लिए), वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, विकसित और विकासशील देशों के बीच तकनीकी अंतर को कम करना, सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना (स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और पर्यावरण में सुधार), सुरक्षित, विश्वसनीय और नैतिक एआई के लिए अंतरराष्ट्रीय नीति संवाद को आगे बढ़ाना तथा भारत को वैश्विक एआई केंद्र के रूप में स्थापित करना शामिल है।

हालाँकि, एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच एक महत्वपूर्ण मानवीय प्रश्न भी सामने आता है। आज एआई के कारण लिखना तेज और आसान हो गया है, लेकिन इससे वास्तविक रचनात्मकता का अर्थ कुछ हद तक धुंधला पड़ने लगा है। अब लोग केवल लेख की गुणवत्ता नहीं देखते, बल्कि यह भी सोचते हैं कि उसे इंसान ने लिखा है या मशीन ने। यह सच है कि एआई द्वारा तैयार सामग्री अक्सर संतुलित और प्रभावी होती है, लेकिन उसमें वह जीवंतता नहीं होती जो किसी इंसान के अनुभव, संघर्ष और भावनाओं से आती है। एआई प्रेम, पीड़ा या संवेदनाओं की भाषा तो लिख सकती है, पर उसने स्वयं कुछ महसूस नहीं किया होता। इसलिए जब ऐसी रचना किसी व्यक्ति के नाम से प्रस्तुत की जाती है, तो यह बौद्धिक नकल जैसी स्थिति भी पैदा कर सकती है। हमें यह समझना होगा कि वास्तविक सृजन केवल परिणाम नहीं, बल्कि सोचने, गलती करने, सीखने और संघर्ष करने की प्रक्रिया भी है, जिसे एआई छोटा कर देती है।

फिर भी; एआई कोई दुश्मन नहीं है। यदि इसे एक ईमानदार औजार की तरह जैसे जानकारी खोजने, विश्लेषण करने या भाषा सुधारने के लिए आदि के लिए उपयोग किया जाए, तो यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसके माध्यम से किए गए कार्य का पूरा श्रेय स्वयं लेने लगते हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि एआई सुविधा अवश्य प्रदान करती है, लेकिन वास्तविक रचनात्मकता आज भी मनुष्य के अनुभव, संघर्ष और ईमानदारी से ही जन्म लेती है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़, उत्तराखंड।

नशों से आज़ादी की लड़ाई: जागरूकता, संकल्प और जनभागीदारी से ही संभव परिवर्तन -डा.अमित कांसल

संगरूर, 17 फरवरी (जगसीर सिंह)-

समाज के समक्ष आज सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है बढ़ती नशे की प्रवृत्ति। यह केवल एक व्यक्ति की आदत नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की ऊर्जा को खोखला करने वाली समस्या है। युवाओं की प्रतिभा, श्रमशक्ति और सपनों पर नशे का साया पड़ता है तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक दिखाई देता है। ऐसे समय में "नशों से आज़ादी की लड़ाई" केवल एक अभियान नहीं, बल्कि सामाजिक जागरण का व्यापक आंदोलन बन चुका है। यह विचार नशा मुक्ति चेतना संघ के प्रांत सह संयोजक व राष्ट्रवादी शिक्षाविद डॉ अमित कांसल ने एक विशेष वार्ता के दौरान प्रगट किए। उन्होंने कहा कि

नशा मुक्ति चेतना संघ द्वारा प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम, जनसंवाद, विद्यालय-महाविद्यालयों में कार्यशालाएँ और ग्राम स्तर पर प्रेरक सभाएँ आयोजित की जा रही हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल नशे के दुष्परिणाम बताना नहीं, बल्कि

युवाओं को सकारात्मक विकल्पों की ओर प्रेरित करना है—खेल, कौशल विकास, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण इसके प्रमुख माध्यम हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि नशे की समस्या का समाधान केवल कानून से संभव नहीं; इसके लिए परिवार, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों और प्रशासन की संयुक्त भूमिका आवश्यक है। जब घर में संवाद होगा, विद्यालय में मार्गदर्शन मिलेगा और समाज में स्वस्थ वातावरण बनेगा, तभी स्थायी परिवर्तन संभव है। नशा मुक्ति चेतना संघ इसी सामूहिक उत्तरदायित्व को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है।

अभियान के अंतर्गत युवाओं को यह संदेश दिया जा रहा है कि जीवन की वास्तविक शक्ति आत्मविश्वास, अनुशासन और लक्ष्य-केन्द्रित सोच में है। "ड्रग्स नहीं, ड्रीम्स चुनो" जैसे प्रेरक संदेशों के माध्यम से उन्हें अपने सपनों और भविष्य के प्रति सजग किया जा रहा है।

आज आवश्यकता है कि हर नागरिक इस लड़ाई को अपना व्यक्तिगत दायित्व माने। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार और आसपास के वातावरण में जागरूकता की एक छोटी-सी ज्योति जला दे, तो समाज नशामुक्ति की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। यह संघर्ष किसी एक संस्था का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है—और जीत भी सामूहिक प्रयासों से ही मिलेगी।

आखिर एआई, जियो पॉलिटिक्स को कैसे बदल रहा है? कमलेश पांडेय

समकालीन दुनिया इंटरनेट और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से परस्पर जुड़ी हुई है, लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जियोपॉलिटिक्स को तेजी से बदल रहा है। इस लिहाज से सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी संप्रभुता प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए तो यह चिप्स, डेटा और कंप्यूटिंग पावर पर वैश्विक दौड़ को तेज कर रहा है जबकि भविष्य में यह नई गठबंधन और संघर्षों को भी जन्म दे सकता है।

जहां तक एआई के वर्तमान प्रभाव की बात है तो एआई ने जियोपॉलिटिक्स में नई शक्ति संतुलन पैदा किया है, जहां अमेरिका और चीन जैसे देश चिप निर्माण और डेटा नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सप्लाई चेन का विखंडन हो रहा है जिससे देश अपनी AI संप्रभुता पर जोर दे रहे हैं, जैसे भारत डोमेस्टिक मॉडल्स विकसित कर रहा है। भारत AI Impact Summit 2026 में जियो के AI मॉडल्स ने स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति में समावेशी उपयोग दिखाया जो वैश्विक दक्षिण के लिए मॉडल बन सकता है।

इसी प्रकार से सैन्य और सुरक्षा आयाम भी तेजी से बदल रहे हैं, खासकर एआई सैन्य रणनीतियों को बदल रहा है, जैसे स्वायत्त हथियार और साइबर युद्ध में इसका उपयोग, जो पारंपरिक शक्ति संतुलन को चुनौती देता है। इसप्रकार देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ाने में AI की भूमिका स्पष्ट है, जहां ट्रंप 2.0 जैसे कारक वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं AI को लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत बनाने के लिए निवेश कर रही हैं।

इसलिए भविष्य के प्रभाव भी स्पष्ट हैं। निकट भविष्य में AI राष्ट्रों की ताकत का निर्धारक बनेगा जिसमें राष्ट्रीय AI द्वीप (national islands) बनेंगे और वैश्विक सहयोग कम हो सकता है। यही वजह है कि भारत 'AI for All' विजन से गरीब-अमीर देशों तक पहुंच बढ़ा रहा है, जो जियोपॉलिटिकल स्थिरता ला सकता है। हालांकि, असमानता और नियमन की चुनौतियां बढ़ेंगी, जैसे सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों पर विनियमन आदि।

जहां तक एआई की होड़ में भारत का स्थान की बात है तो भारत AI को सामाजिक भलाई के लिए उपयोग कर जियोपॉलिटिक्स में मजबूत हो रहा है, जैसा कि इंडिया AI समिट में PM मोदी के जियो पवेलियन दौरे से पता चला है। यह वैश्विक सप्लाई चेन में नया अवसर देगा लेकिन चिप्स और डेटा संप्रभुता पर निर्भरता बनी रहेगी। साक्ष्य-आधारित AI से अनपेक्षित जोखिम कम होंगे।

भारत की AI भू-राजनीतिक रणनीति तकनीकी संप्रभुता, समावेशी विकास और वैश्विक नेतृत्व पर केंद्रित

भारत की AI भू-राजनीतिक रणनीति तकनीकी संप्रभुता, समावेशी विकास और वैश्विक नेतृत्व पर केंद्रित है। यह #AIforAll विजन के तहत AI को लोकतांत्रिक बनाने पर जोर देती है, जिसमें आर्थिक निर्भरता कम करना और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मजबूत करना शामिल है। इसके प्रमुख स्तंभ इस प्रकार हैं:- भारत AI मिशन (मार्च 2024 से) सात स्तंभों—इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग पावर, डेटा प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप फंडिंग, अनुसंधान, स्किलिंग और विश्वास-आधारित AI—पर आधारित है, जो वैश्विक AI दौड़ में भारत को मजबूत बनाता है। नीति आयोग की राष्ट्रीय AI रणनीति #AIforAll के माध्यम से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्मार्ट सिटीज जैसे क्षेत्रों में AI को प्राथमिकता देती है। यह अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा में संतुलन बनाते हुए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) से AI परिनियोजन में उत्कृष्टता हासिल करने का लक्ष्य रखती है।

जहां तक भू-राजनीतिक फोकस की बात है तो भारत की रणनीति AI संप्रभुता पर जोर देती है, जैसे IndiaAI मिशन और राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन से स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा, ताकि विदेशी फर्मों पर निर्भरता कम हो और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो। वहीं वैश्विक मंचों जैसे पेरिस AI एक्शन समिट 2025 में भारत फ्रांस के साथ सह-अध्यक्षता कर AI डिवाइड कम करने और जिम्मेदार AI शासन को बढ़ावा दे रहा है। जबकि उच्च-जोखिम AI के लिए गवर्नेंस दिशानिर्देश जारी कर जोखिमों जैसे डीपफेक और गलत सूचना पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा रहा है।

इस राह में भारत की चुनौतियां और भविष्य स्पष्ट है। डेटा उपयोग स्पष्टता की कमी, अविकसित अनुसंधान इंफ्रास्ट्रक्चर और दायित्व मुद्दे वैश्विक AI क्षमता को सीमित कर सकते हैं, इसलिए नीतिगत हस्तक्षेप जैसे सैंडबॉक्स और कंप्यूट एक्सेस सुधार जरूरी हैं। भू-राजनीतिक दौड़ में भारत AI उपयोग से निर्माण की ओर बढ़ रहा है, जो इंडो-पैसिफिक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। AI Impact Summit 2026 जैसे आयोजनों से वैश्विक दक्षिण के लिए मॉडल स्थापित हो रहा है।

 # समझिए एआई से जियो पॉलिटिक्स कैसे बदल रही है?

एआई जियोपॉलिटिक्स को तेजी से बदल रही है, खासकर सैन्य क्षमताओं, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और डेटा संप्रभुता के क्षेत्र में। यह देशों के बीच नई शक्ति प्रतिस्पर्धा को जन्म दे रही है, जहां तकनीकी वर्चस्व राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बन गया है। जहां तक सैन्य और सुरक्षा प्रभाव की बात है तो एआई हथियार प्रणालियों, निगरानी और साइबर युद्ध में क्रांति ला रही है। उदाहरणस्वरूप, स्वायत्त ड्रोन और भविष्यवाणी विश्लेषण से युद्ध रणनीतियां अधिक सटीक हो गई हैं, जिससे पारंपरिक सैन्य शक्ति का महत्व घट रहा है। इससे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़े हैं, जैसे यूएस-चीन के बीच चिप युद्ध।

जहां तक आर्थिक वर्चस्व की होड़ की बात है तो एआई सप्लाई चेन को खंडित कर रही है, जहां देश चिप्स, डेटा और मॉडल्स पर आत्मनिर्भरता चाहते हैं। भारत जैसे देश डोमेस्टिक एआई पर जोर देकर वैश्विक खिलाड़ी बन रहे हैं, जबकि जियोपॉलिटिकल टेंशन व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। ट्रंप 2.0 जैसे नीतिगत बदलाव एआई निवेश को नया आकार दे रहे हैं।

जहां तक राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की बात है तो चुनावों में एआई डीपफेक और लक्षित प्रचार से लोकतंत्र को चुनौती दे रही है। साथ ही, यह सरकारी निर्णयों को डेटा-आधारित बना रही है, लेकिन पूर्वाग्रहों का खतरा भी है। भारत में जियो और सरकार एआई को स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के लिए समावेशी बना रहे हैं।

जहां तक वैश्विक संतुलन में बदलाव की बात है तो चीन और भारत जैसे देश एआई में अग्रणी बनकर मध्य वर्ग की ताकत से जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच जैसे प्लेटफॉर्म पर एआई निवेश (1.5 ट्रिलियन डॉलर) को भू-राजनीतिक स्थिरता का आधार माना जा रहा है।

चीन और अमेरिका की AI रणनीति से भारत का तुलना

जहां तक चीन और अमेरिका की AI रणनीति से भारत का तुलना की बात है तो भारत, अमेरिका और चीन की AI रणनीतियां उनके भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती हैं, जहां अमेरिका नवाचार पर, चीन राज्य नियंत्रण पर और भारत समावेशी उपयोग पर केंद्रित है। स्टैनफोर्ड इंडेक्स जैसे आकलनों में अमेरिका शीर्ष पर है, चीन रिसर्च वॉल्यूम में मजबूत है, जबकि भारत टैलेंट और स्किलिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

जहां तक निवेश और बुनियादी ढांचा में तुलना की बात है तो अमेरिका ओपनएआई, गूगल जैसे निजी दिग्गजों से लचीले नियमों के साथ AI लीडरशिप बनाए रखता है, जबकि चीन बायडू-अलीबाबा को सरकारी समर्थन से 2030 तक वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य रखता है। वहीं भारत सर्वम AI जैसे संप्रभु, बहुभाषी मॉडल्स से वैश्विक दक्षिण की आवाज बन रहा है, जो अमेरिका-चीन से अलग समावेशी पथ अपनाता है—हालांकि निवेश में पीछे है।

जहां तक अमेरिका, चीन और भारत के करवटों के भू-राजनीतिक निहितार्थ की बात है तो अमेरिका वैश्विक पार्टनरशिप से प्रभाव बढ़ाता है, चीन निगरानी और सैन्य AI से, जबकि भारत पेरिस AI समिट जैसे मंचों से डिवाइड कम कर शासन में AI उपयोग पर जोर देता है। यही वजह है कि भारत चीन से आगे निकलकर तीसरा स्थान बना रहा है, लेकिन हार्डवेयर अंतर को कम करने की जरूरत है।

AI से खेती तक: 'भारत-VISTAAR' लॉन्च, किसानों को सीधा जवाब देने का दावा

संगिनी घोष

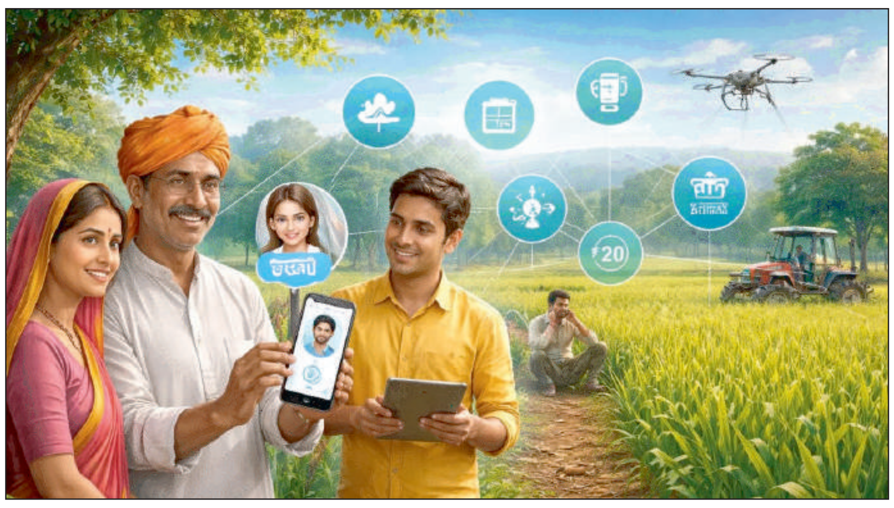

AI तकनीक के जरिए कृषि संवाद की नई शुरुआत

जयपुर/दिल्ली, आज — शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में किसानों के बीच एक कार्यक्रम के दौरान AI-आधारित प्लेटफ़ॉर्म "भारत-VISTAAR" फेज-1 लॉन्च किया। यह पहल उस समय सामने आई जब नई दिल्ली में चल रहे एआई सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग पर चर्चा तेज है। मंत्री ने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से किसान सीधे सवाल पूछकर तुरंत समाधान पा सकेंगे।

ऐसे देखें तो, यह पहल डिजिटल इंडिया के अगले चरण की तरह लगती है, जहाँ तकनीक सिर्फ शहरों तक सीमित न रहकर खेतों तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है।

AI-'भारती' ने दिए किसानों के सवालों के जवाब

कार्यक्रम के दौरान AI प्रणाली 'भारती' ने किसानों के कृषि-संबंधी सवालों का जवाब लाइव डेमो में दिया। अधिकारियों का कहना है कि यह प्लेटफ़ॉर्म खेती, मौसम, बीज, उर्वरक और बाजार से जुड़ी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

राजनीतिक बयानबाज़ी भी रही चर्चा में

लॉन्च के मौके पर मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए राहुल गांधी से यूपीए काल में कृषि मामलों से जुड़े पाँच सवाल पूछे। साथ ही उन्होंने अनाज वितरण, गरीबी उन्मूलन और फूड सिक्योरिटी योजनाओं को लेकर विपक्ष की आलोचना की और नरेंद्र मोदी के राशन मॉडल को प्रभावी बताया।

किसानों के लिए हेल्पलाइन सुविधा

मंत्री ने घोषणा की कि किसान 155261 नंबर पर कॉल कर सीधे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उनका दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना की कमी की समस्या काफी हद तक कम होगी।

यह पहल क्यों अहम मानी जा रही है?

विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि क्षेत्र में सही समय पर सही जानकारी मिलना उत्पादन बढ़ाने और नुकसान कम करने के लिए बेहद जरूरी होता है। यदि यह AI सेवा जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित होती है, तो यह किसानों के लिए डिजिटल सलाहकार की तरह काम कर सकती है।

ऐसे देखें तो, असली परीक्षा लॉन्च नहीं बल्कि इसका वास्तविक उपयोग और पहुंच होगी — क्योंकि किसी भी योजना की सफलता तभी है जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

मुख्य बिंदु

* राजस्थान में AI-आधारित भारत-VISTAAR फेज-1 लॉन्च।
* 'भारती' AI सिस्टम ने लाइव किसानों के सवालों के जवाब दिए।
* 155261 नंबर से सीधी जानकारी सुविधा।
* मंत्री ने विपक्ष से यूपीए काल के कृषि मुद्दों पर सवाल उठाए।
* राशन और फूड सिक्योरिटी मॉडल को लेकर राजनीतिक बयान।
* पहल का उद्देश्य खेती में तकनीक का उपयोग बढ़ाना।

ओडिशा ने इम्पैक्ट समिट में AI की क्षमता दिखाई, 3 मेड इन इंडिया चिप्स बनाए

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट शुरु हो गया है। इसमें ओडिशा ने अपनी AI क्षमता दिखाई है। राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डिपार्टमेंट ने भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 के पहले फ्लोर पर एक खास पवेलियन बनाया है। इसमें इन्वेस्टर्स के सामने राज्य के AI इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमता को दिखाया गया है। यहां एक बड़े कोणार्क चक्र के साथ AI फास्ट ओडिशा को प्राथमिकता दी गई है। जहां चिप्स, कोड और पॉलिसी मिलकर एक उज्ज्वल और असरदार भविष्य बनाने की दिशा में राज्य की तैयारी को बताते हैं। इस समिट में राज्य ने इन्वेस्टर्स के सामने AI और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को विस्तार से दिखाया है। ओडिशा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अलग AI पॉलिसी लाई है और इस सेक्टर में डेवलपमेंट ट्रेंड को तेज करने के लिए बड़े प्रोग्राम शुरु किए हैं। राज्य अब सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए एक पसंदीदा जगह के रूप में उभरा है। ओडिशा में 4 सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई जा रही हैं। इसमें 6 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसमें सिक्सSEM की 2 यूनिट और इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) द्वारा अप्रूव्ड 3D ग्लास यूनिट शामिल हैं। राज्य में 17 टेक पार्क हैं। ओडिशा में 6 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ़ इंडिया (STPI) हैं और 9 और STPI बनने वाले हैं। इसी तरह, राज्य में 9 टेक हब हैं। राज्य में InfoValley और InfoCity जैसे 2 IT पार्क और एक O-Hub सेंटर बनाया गया है। राज्य ने Chip to Startup प्रोग्राम के तहत 3 Made in India चिप्स बनाए हैं। NIT राउरकेला और बरहामपुर में पराला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज ने इस फील्ड में सफलता हासिल की है। राज्य का लक्ष्य 2029 तक अपने 75% कर्मचारियों को और

2036 तक 100% कर्मचारियों को AI ट्रेनिंग देना है। AI के दौर में युवाओं की स्किल ट्रेनिंग को प्राथमिकता दी गई है। लक्ष्य है कि AI और नई टेक्नोलॉजी में STEM ग्रेजुएट की संख्या 2029 तक 15% और 2036 तक 55% तक बढ़ाई जाए। राज्य डिजिटल कनेक्टिविटी के ज़रिए लोगों को मज़बूत बनाने, व्यापार को मज़बूत करने और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास की ओर बढ़ रहा है। राज्य को डेटा सेंटर और AI हब के तौर पर डेवलप करने के लिए प्रोग्राम को मज़बूत किया जा रहा है। टारगेट है कि 2029 तक डेटा सेंटर की कैपेसिटी 10 MW और 2036 तक 36 MW तक बढ़ाई जाए। राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर डॉ. मुकेश महालिंग ने कहा कि IIT भुवनेश्वर को सेमीकंडक्टर हब के तौर पर डेवलप किया जा रहा है।

अनाया बांगड़: साहस, स्वाभिमान और आत्म-स्वीकृति की प्रेरक यात्रा

23 वर्षीय अनाया बांगड़, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राष्ट्रीय टीम के बल्लेबाज़ी कोच Sanjay Bangar की पुत्री, आज साहस, आत्म-सम्मान और सच्ची पहचान की मिसाल बन चुकी हैं। वे केवल एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि ट्रांसजेंडर अधिकारों और खेलों में समावेशन (inclusion) की मुखर आवाज़ भी हैं। उनका जीवन केवल व्यक्तिगत परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरने वाली एक प्रेरक गाथा है।

खेल के मैदान से आत्म-खोज की ओर

अनाया ने भारत और यूनाइटेड किंगडम—दोनों स्थानों पर क्रिकेट खेला है। खेल उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है, परंतु उनके भीतर एक और संघर्ष चल रहा था—अपनी वास्तविक लैंगिक पहचान को स्वीकार करने और उसे समाज के सामने व्यक्त करने का संघर्ष।

उनकी यह यात्रा अचानक या भावनात्मक आवेग में लिया गया निर्णय नहीं था। पिछले कई वर्षों से वे एक सुनियोजित, चिकित्सकीय रूप से नियंत्रित प्रक्रिया से गुज़र रही हैं:

विस्तृत मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन

नियमित थेरेपी सत्र

हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT)

पूर्व में करवाई गई "टॉप सर्जरी" (चेस्ट रिकंस्ट्रक्शन)

इन सभी चरणों के बाद उन्होंने अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन को गहराई से समझते हुए अंतिम चरण—वेजिनोप्लास्टी (Gender-affirming bottom surgery)—का निर्णय लिया।

वेजिनोप्लास्टी: आत्म-सम्मिलन की दिशा में अंतिम कदम

अनाया ने सार्वजनिक रूप से साझा किया है कि उनकी वेजिनोप्लास्टी सर्जरी 14 मार्च 2026 को थाईलैंड में एक विशेषज्ञ सर्जन द्वारा की जाएगी। यह प्रक्रिया "स्किन ग्राफ्ट वेजिनोप्लास्टी" के रूप में जानी जाती है, जिसमें शारीरिक संरचना को व्यक्ति की लैंगिक पहचान के अनुरूप बनाया जाता है।

संभावित रिकवरी अवधि:

कम से कम एक महीना विदेश में रहना

लगभग छह महीने तक क्रिकेट से दूरी

पूर्ण शारीरिक पुनर्प्राप्ति में एक वर्ष तक का समय

अनाया ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह सर्जरी किसी बाहरी मान्यता के लिए नहीं, बल्कि "अपने शरीर में घर जैसा महसूस करने" के लिए है। यह कथन उनके आत्म-संघर्ष और आत्म-स्वीकृति की गहराई को दर्शाता है।

👨 👩 👧 परिवार का साथ: संदेह से स्वीकृति तक

इस यात्रा का सबसे प्रेरक पहलू है—परिवार का साथ।

उनके छोटे भाई अथर्व शुरू से उनके समर्थन में खड़े रहे।

प्रारंभ में माता-पिता के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था—सामाजिक और सांस्कृतिक दबावों के कारण।

परंतु समय, संवाद और अनाया की दृढ़ता ने सब बदल दिया।

आज उनके पिता Sanjay Bangar स्वयं सर्जरी का पूरा खर्च वहन कर रहे हैं। यह केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि भावनात्मक स्वीकार्यता और गर्व का प्रतीक है।

अनाया की माँ कश्मीरा बांगड़ भी अब उनके साथ मजबूती से खड़ी हैं। यह परिवर्तन दर्शाता है कि समझ और प्रेम से हर दूरी मिटाई जा सकती है।

समुदाय से प्रेरणा

अनाया को भारतीय ट्रांसजेंडर समुदाय की अग्रणी हस्तियों से मार्गदर्शन मिला, जिनमें प्रमुख हैं:

Saisha Shinde

Trinetra Haldar Gummaraju

इन दोनों ने समान प्रक्रिया से गुज़रकर अनाया को मानसिक संबल और अनुभव साझा किए।

नवीनतम घटनाक्रम (फ़रवरी 2026 तक)

फरवरी 2026 के प्रारंभ में अनाया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (@anayabangar) पर एक भावनात्मक वीडियो साझा किया।

इस वीडियो में उन्होंने सर्जरी की तैयारी, मानसिक स्थिति और भविष्य की आशाओं पर खुलकर बात की।

देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने इस घोषणा को व्यापक रूप से प्रकाशित किया।

अब तक सर्जरी की तिथि (14 मार्च 2026) में किसी प्रकार का परिवर्तन या विलंब नहीं हुआ है।

वर्तमान में वे मानसिक और शारीरिक तैयारी के अंतिम चरण में हैं और सर्जरी के बाद विश्राम और पुनर्प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

✨ व्यापक सामाजिक महत्व

अनाया की कहानी केवल व्यक्तिगत साहस की कहानी नहीं है। यह भारत में:

ट्रांसजेंडर पहचान की बढ़ती स्वीकार्यता

खेलों में समावेशन की आवश्यकता

परिवारों में संवाद और समझ की अहमियत

इन सभी मुद्दों को रेखांकित करती है।

उन्होंने यह सिद्ध किया है कि जब व्यक्ति अपने सत्य को स्वीकार करता है और परिवार उसका साथ देता है, तब समाज की बाधाएँ धीरे-धीरे टूटने लगती हैं।

निष्कर्ष

अनाया बांगड़ की यात्रा हमें यह सिखाती है कि पहचान की सच्चाई ही सबसे बड़ा साहस है।

उन्होंने अपने जीवन को ईमानदारी, संयम और आत्म-विश्वास से दिशा दी है। उनका यह कदम केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और पूर्णता की ओर एक निर्णायक प्रस्थान है।

उनकी कहानी उन सभी के लिए आशा की किरण है जो अपने भीतर की आवाज़ को सुनने का साहस जुटा रहे हैं।

जब सच्चाई को परिवार का साथ मिल जाता है, तब परिवर्तन संघर्ष नहीं—उत्सव बन जाता है।

जब भारत रत्न बिस्मिल्लाह अपनी शहनाई से ढाल मे असमर्थ रहे सरायकेला छऊ की धुन

आज सरायकेला राजधराने में उत्पादित छऊ का राजनीति करण से लोग चिंतित !

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्थम्भकार

मेरा देश उस फनकार को उतना कद्र करता जितना कि एक कला मर्मज्ञ कलाकार को जो दिल से यह कहे कि--₹ मै अगर अमेरिका मे जाकर बसगया तो ये गंगा का किनारा और बाबा विश्वनाथ के दरवार पर कौन शहनाई बजाएगा₹ ? वह शख्स भारत के तीसरे बड़े व्यक्ति जो शास्त्रीय कला हेतु भारतरत्न से नवाजे गये है ।2001मे हिन्हे भारत रत्न सम्मान मिलाता है । आप बिहार के डूमराब में जन्मे पर भोजपुर राज दरबार में उनके पिता ऐक फनकार हुआ करते थे ।आप रहे बिस्मिल्लाह खान जी । आप मां सरस्वती के बड़े ही भक्त में से थे । कतिपय कारण वश वे छऊ ओडिया भाषा में धुन को स्वर दे नहीं पाये तब सरायकेला राजघराने द्वारा बनारस से छोटे मियां , बड़े मियां लाये गये 1937 में , दुसरे विश्वयुद्ध पूर्व विदेश गया ओडिया का छऊ । आज उस पाउडी माटी की कला को संरक्षण देने में ग्रहण लग चुका है । कारण उसकी पवित्रता जो नष्ट हो चुकी और तो और राजनीति में कद-काठी बढ़ाने हेतु उसके धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है ।जिससे सरायकेला वासी , जानकार , फनकार , उपासक सब जानते हुए भी चुप है , देश के कला जगत में चर्चे का विषय है । यह ओड़िआ संस्कृति के साथ पूजन से जूड़ा हुआ है ।जो ओड़िआ जनमानस पर जोरदार कुठाराघात है ।

1937 -38 दुशरा विश्वयुद्ध अब प्रारम्भ हुआ ही नही था , सरायकेला छऊ तब हमारा विदेश जा रहा था । यह बडी बात थी केवल सरायकेला रियासत ही नही देश के लिए । सरायकेला छऊ को एक अब्बलदर्जे के शहनाई वादक की जरूरत थी । वनारस के आभूषण आपूर्ति कर्ता काशी प्रसाद जो राजमहल एवं कुलिश वर्गों के घर घर आकर आभूषण एवं बनारसी साड़ी बेचते थे आप दोनो सरायकेला के लोगों के प्रियपात्र में से थे ।राजा, महाराजा से लेकर अनेकों कुलीन वर्गं के यहां तक की हमारे घर के लोगों को भी बाबा विश्वनाथ दर्शन कराने में काशी मे कोई कठिनाई न हो काशी एवं दुर्गा प्रसाद बन्धु ख्याल लेते थे वहां , उनकी एक पैठ थी तत्कालीन सरायकेला राजधानी के समाज में ।

आपने राजा के आदेश पर पर भारत के अबतक के श्रेष्ठ शहनाई बादक 20-21 वर्ष के तब युवा बिस्मिल्ला खान को वनारस से ला कर सरायकेला राजदरबार मे प्रस्तुत करते है 1937 में ।इस कला नगरी का कला देखिये बिस्मिल्ला खान अपनी शहनाई पर सरायकेला छऊ की रंग यानी सुर को ढालने मे असमर्थ रहते कारण स्वर शास्त्रीय आधारित ओड़िया एवं स्थानीय बोली की गीतों से थी , फिर क्या था उन्हे स्थानीय गुरूओं विशेष कर राजा के भाई कुंवर विजय बाबू ने नकार देते ।इन्हें राजा सरायकेला द्वारा पुनः वनारस वापिस भेज दिया जाता है । जहां रास्ते में एक अद्भुत घटना घटती जिसका जीक्र मैंने अपनी प्रस्तावित किताब में करने जा रहा हुं ।

उसी समय उनके जगह पर उसी वनारस के उनके ही दो गुरु उस्ताद छोटे मियां एवं उस्ताद बडे मिया को शामिल किया जाता है सरायकेला रायल स्कुल का टूप में , कारण ये छऊ के उक्त धुनों को अपनी शहनाई वादन में ढालने में समर्थ रहते हैं बिस्मिल्लाह ।जब ये दोनो युरोप गये तो समुचे युपी के नवावों के यहां खलबली मच गयी यह कह कर कि- एक शहनाई वादक भी सरायकेला राजा के टूप के साथ विदेश जा सकता है !

1938ई०, सरायकेला राजकुमारों , चुनें गये उन्नत युवा कलाकरों की मंडली जिनमे कुंवर विजय प्रताप सिंहदेव, नागेन्द्र प्रताप सिंहदेव, हिमांशु बाबू,शुभेन्द्र नारायण सिंहदेव, वन बिहारी पट्टनायक,हिरेन्द्र प्रताप सिंहदेव, ताले दरोगा अभिमन्यु हुंज, शशि मोहान्ती, मधुसुदन मुखी मुखी, केदार साहु (उस समय 14वरष) ,शरद साहु समेत एक वंगाली महिला वाणी मुजुमदार और वाद्य टीम उनमें दो वनारस से दो युवा शहनाई वादक उस्ताद छोटे मियां ,बडे मियां को लेकर निकला हमारा छऊ टूप ।

मेरे सरायकेला का सामरिक नृत्य ताण्डव और दुर्गा को देख कर पुराण और वेदों के सदर्भ मे उसके विषय मे जानकर समुचा युरोप कह उठा यह तो हिन्दू नृत्य है ,हिन्दू वैदिक घट-पाट से जुडा है ।लन्दन, पेरिस आदि से प्रकाशित तमाम अखबारों ने लिखा इंडिया का हिन्दु नृत्य छऊ ,किसी किसी ने तो याहां तक लिखा The Hindu Dance of India from Seraikella ,Hindustan .

सरायकेला जिला स्थापना, सोमवार, 30 अप्रेल ,सन,2001, तब मै दैनिक ₹हिन्दुस्तान₹ अखबार का इस जिले का डिस्ट्रीक्ट हैड (इंचार्ज) था आज से करीब दो दशक पहले तक ।जिस दिन जिले का उद्धधाऊटन हुआ था , तब लिखा था नीचे का इस आर्टिकिल को । तब इस छऊ का क्रेज कुछ अलग ही था ।,स्वर्गीय सुधेन्द्र नारायण सिंहदेव स्व० केदार साहु ,स्व० मकरध्वज दरोगा जैसे पद्मश्रियों , संगीत नाट्य ऐवाडी गुरू विक्रम कुम्भकार से लगातार महिनों तक जानकारी हासिल करने के बाद मुझे सरायकेला विषयक गर्व होता था । सरायकेला खरसावां जिले की प्रथम उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्रीमती बंदना डाडेल (भा प्र से) आज की सरकार में कार्मिक प्रशासनिक सुधार , राजभाषा विभाग, गृह विभाग की उस सचिव ने मुझे से इस संदर्भ में काफी तज्जवों देती थी ।ऐसा भी हुआ कि छऊ की बैठक पर उनके अपने पर्सनल लेटर हेड से आमंत्रण मुझे दी जाती थी ताकी सही जानकारी साझा की जा सके । आज के जैसा छऊ की बैठक तब नहीं होती थी -जहां निदेशक तपन पट्टनायक ,फिर अब निदेशक विहीन आनन फानन में उसको लाने वाली उक्त कमेटी केवल उन्हीं लोगों को बुलायेगा जो उनके हर बात पर हाथ उठाकर ताली मारें ,छऊ जाय भाड में पैसा अपनी/ चहेतों के जेब में । आज कुछ नेता उससे भी दो कदम आगे बढ़ गये है । वे राजनीति छऊ को लेकर साधने लगे हैं ।

तब मैने इसकी वास्तविक उद्गम पर तहकीकात कर अनेकों आर्टिकल लिखे हिन्दी , अंग्रेजी ,ओड़िया भाषा में ।, क्योंकि मैने इस ऐतिहासिक शहर के संस्कृति ,भाषा इसकी आवोहवा पर अनेकों शोध भी किया । क्या आज आप यह महासुस करते है कि इसकी अतुल्य धरोहरों पर हकीकत से पर्दा उठे और आपके वैभवशाली छऊ का विरासत का पुनःविकास संभव हो । अब प्रश्न आता है कौन हमें अपनी संस्कृति से अलग थलग रखने का प्रयास जो कर रहा है उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है ।

ओडिशा में रेयर अर्थ रिज़र्व, 3 बीच पर रेयर मिनरल, 10,000 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट का मौका

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : केंद्र सरकार ने बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा की है। इस घोषणा से ओडिशा के लिए रेयर अर्थ मटीरियल के क्षेत्र में नए मौके बनने की संभावना है। केंद्र सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की घोषणा करके देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाया है।ओडिशा इस फील्ड में अपनी मौजूदगी मजबूत करने जा रहा है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जानकारी के मुताबिक, राज्य में रेयर अर्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की काफी संभावना है। अब तक 2 इन्वेस्टर्स ने राज्य में इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोज़ल दिए हैं। कंपनियां 10,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने जा रही हैं। अगर इन प्रपोज़ल्स को लागू किया जाता है, तो राज्य देश के रेयर अर्थ मिनरल सेक्टर में एक खास जगह बना लेगा। यह इस फील्ड में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट और नए इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ में मदद करेगा।

मिनिस्ट्री ऑफ़ माइंस के डेटा के मुताबिक, देश के 30 रेयर अर्थ में से ओडिशा में 11 ऐसे मिनरल हैं। अभी, राज्य में इन मिनरल्स को निकाला नहीं गया है। इन मिनरल रिसोर्स का सही इस्तेमाल लंबे समय में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में मदद कर सकता है। कोबाल्ट राज्य के क्योंझर और जाजपुर जिलों में पाया जाता है। इन मेटल्स का इस्तेमाल EVs, EV बैटरी, एंटी-फ्रिक्शन मेटल्स, स्पेस एप्लीकेशन, पिगमेंट और डाई के फील्ड में किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य में ग्रेफाइट ओर भी है। इस मेटल का इस्तेमाल बैटरी, लुब्रिकेंट, EVs के लिए फ्यूल सेल बनाने में किया जा सकता है। निकल राज्य के जाजपुर, क्योंझर और मयूरभंज जिलों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील, सोलर पैनल, डिफेंस, एयरोस्पेस और EVs में किया जा सकता है।

भुवनेश्वर से 170 उत्तर-पूर्व में बाउल नौ साही नाम की जगह पर प्लैटिनम ग्रुप के एलिमेंट की पहचान की गई है। इसका इस्तेमाल ऑटो कैटलिस्ट, ज्वेलरी, दवा, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में किया जा सकता है। रेयर अर्थ एलिमेंट (REE) राज्य के तीन बीच गोपालपुर, छत्रपुर और ब्रह्मगिरी में पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर, कैटलिस्ट, पॉलिशिंग, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, विंड पावर सेक्टर, एयरोस्पेस और सिविल एविएशन के लिए परमानेंट मैग्नेट में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा, राज्य के सिलिकॉन ओर का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, पेंट और एल्यूमीनियम एलॉय में किया जाता है। मलकानगिरी जिले में टिन प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले ओर हैं। जिसका इस्तेमाल एयरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, होम डेकोर इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी और टेलीकॉम इक्विपमेंट में होता है। इसी तरह, टाइटेनियम ओर एयरोस्पेस, डिफेंस एप्लीकेशन, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पिगमेंट और पॉलीमर सेक्टर में इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा।

दूसरी ओर, वैनेडियम का इस्तेमाल एलॉय और बैटरी में होता है। जिरकोन का इस्तेमाल हाई वैल्यू-एडेड मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) गंजम के गोपालपुर में अपनी फैसिलिटी के साथ काम कर रही है। इस अनाउंसमेंट के बाद, चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी ने कहा कि रेयर अर्थ मिनरल्स राज्य को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब बनाएंगे। इंडिया-US ट्रेड एग्रीमेंट से राज्य में इस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023